TATA STEEL FOUNDATION

TATA

कुँड़ुख़ टाईम्स

(अंक 04, जुलाई से सितम्बर 2022)

वेब पत्रिका का त्रैमासिक मुद्रित संस्करण

Kurukhtimes.com

बिसुसेन्दरा विशेषांक

Prepared by :
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya
Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

In Association with:
TRIBAL CULTURAL SOCIETY, JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of TATA STEEL FOUNDATION

TATA STEEL FOUNDATION

TATA

Tata Steel Foundation, a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited, was incorporated on August 16, 2016. With over 500 members spread across eleven units and two states of Jharkhand and Odisha, the Foundation is a CSR implementing organization focused upon co-creating solutions, with tribal and excluded communities, to address their development challenges reaching more than 1.5 million lives annually across 4,500 villages. The Foundation endeavors to implement change models that are replicable at a national scale, enabling significant and lasting betterment of communities proximate to Tata Steel's operating locations while embedding a societal perspective in key business decisions. The Foundation strives for excellence by ensuring that all programmes are aligned with community needs and focused upon national priority areas enabling communities to access and control resources to improve the quality of their lives with dignity.

TATA STEEL FOUNDATION

TATA

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, टाटा स्टील फाउंडेशन के अंतर्गत हाशिये पर आ चुके समुदायों विशेषतः अनुसूचित जनजाति के लिए ही कार्यरत इकाई है। यह एक अव्यवसायिक और स्वयंसेवी संगठन है। ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी की यात्रा 1974 में तब से शुरू हुई जबकी इसके जनजातीय मामलों के लिए एक संयुक्त समिति के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1983 में समिति पंजीयन अधिनियम के तहत इसका एक समिति के रूप में पंजीयन कराया गया। टाटा ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी का मुख्य उद्देश्य जनजाति अस्मिता और धरोहर को प्रोत्साहित करना है। यह जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा आजीविका के विभिन्न पक्षों में आर्थिक पहल के जरिए जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन से सम्बंद्ध गतिविधियों पर केन्द्रित है।

कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं :-

- जनजातीय समुदायों की देशज अस्मिता या मौलिक पहचान का संरक्षण और संवर्द्धन।
- सशक्त समाजों के निर्माण हेतु शिक्षा को विशेषतः युवाओं के मध्य प्रोत्साहित करना।
- कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

Address:

In Association with
TRIBAL CULTURE SOCIETY, JAMSHEDPUR
(An Ethnicity Wing of TATA STEEL FOUNDATION)

E. Road Northen Town Bistupur
Jamshedpur - 834001 (Jharkhand)
Contact No. : 918579015646
jiren.topno@tatasteel.com
Shiv.Kandeyong@tatasteelfoundation.org

Printing at : Good News Printer, Kantatoli, Ranchi, Mob : 7631000562

[illegible]
कुँड़ुख़ टाईम्स

https://kurukhtimes.com
वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक
मुद्रित संस्करण
(अंक 04, जुलाई से सितम्बर 2022)

Consulting Editor :
Mr. Kishlaya, Ranchi, Jharkhand
Mob. # 9431113111
Executive Editor :
Dr. Bindu Pahan, Birsa Nagar, Zone-6, Jamshedpur, Mob # 9798956544
Assistant Editor :
Shri Bhuneshwar Oraon, Tilsiri, Ghaghra Gumla, Mob # 9798956544
Co-ordinator :
Dr. Narayan Oraon, Sainda, Sisai, Gumla, Jharkhand, Mob. # 9771163804
Editorial Board :
1. Shri Jita Oraon, Ranchi
Mob. # 9905215471
2. Shri Rajendra Bhagat, Jogo Pahar, Ranchi, Mob # 9798956544
3. Mr. Mahadeo Toppo, Ranchi
Mob. # 7250212369
4. Dr. (Smt.) Shanti Xalxo, Ranchi
Mob. # 9905215471
5. Dr. Meena Toppo, Ranchi
Mob # 9431729685
6. Dr. Satyotam Bhagat, Jamshedpur
Mob. # 9608706239
7. Dr. Narayan Bhagat, Ranchi
Mob. # 8521458677

Publication Office :
Tolong Pinndi, Boreya Road, Chirondi, Nagra Dippa, PS: Bariatu, Dist. : Ranchi (Jharkhand), Pin: 834006
Publiced by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi
Prepared by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (addi Akhra), Ranchi
In Association with
TRIBAL CULTURAL SOCIETY JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of
TATA STEEL FOUNDATION

तरपाँती	पईत्त पाब	पक्खे
1.	तोलोंग सिकि (लिपि) का आधार (प्रकृति और कलाकृति)	02
2.	कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि तोड़पाब (वर्णमाला)	03
3.	पारम्परिक पडहा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा फिर से जगे और गहजे : कैसे ?	04
4.	परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सिसई–भरनो क्षेत्र की झलकियाँ	10
5.	22 पड़हा परम्परागत ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन 2022 का घोषणा पत्र	16
6.	22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन 2020 का घोषणा पत्र	22
7.	परम्परागत पड़हा ग्राम सभा विसुसेन्दरा एवं विधि के जानकरों का सुझाव	29
8.	कुँड़ुख़ भाषा सह तोलोंग सिकि का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला	30
9.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासांगिकता	31
10.	ऑल कुँड़ुख़ (उराँव) साहित्य सभा, असम का कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) के प्रचार–प्रसार की झलकें	32

[illegible] (पेंच्छका = संपादकीय)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Report) [illegible] (Report) [illegible] (Report) [illegible] (Report) [illegible]

[illegible]

[illegible] (NEP-2020) [illegible] (Assam Kokrajhar) [illegible]

[illegible]

Dated - 30.09.2022 — *Bindu Pahan, E. Editor*

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार
तोलोङ पोशाक
हल–चलाना
चाला अयंग अड्डा
जता चलाना
रोटी पकाना
नृत्य
अभिवादन
जीव–जन्तुओं द्वारा बनाये गये चिन्ह
मृत्यु संस्कार
देबी अयंग अड्डा
पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा
गणितीय चिन्ह
डण्डा कट्टना अनुष्ठान
लत्तर का डाली पर चढ़ना
संास्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान चिन्ह
सिन्धु लिपि (Indus Script)
डण्डा कट्टा डिसप्ले शिस्टम
तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

(कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तोःड़पाब)
Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला

(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

इ i   ए e   उ u   ओ o   अ a   आ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, • (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ' (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक,
~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, ‿ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, । (हेचका) = विकारी अ

(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

प् p	फ् ph	ब् b	भ् bh	म् m
त् t	थ् th	द् d	ध् dh	न् n
ट् ṭ	ठ् ṭh	ड् ḍ	ढ् ḍh	ण् ṇ
च् ch	छ् chh	ज् j	झ् jh	ञ् ñ
क् k	ख् kh	ग् g	घ् gh	ङ् ṅ
य् y	र् r	ल् l	व् w	ज़् ż
स् s	ह् h	ख़् x	ड़् ṛ	ढ़् ṛh

(लेक्खा) = संख्या, Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(ख़द्दर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँख़ो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा),

(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।

(पल्ले) = दाँत, (बई) = मूँह, (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।

(ततख़ा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।

ताःका एमसाःर'ई, पल्ले, बई, मेलख़ा, होलेम चींःख़नर ख़द्दर।

ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी होलेम उज्जनर ख़द्दर।।

(कुडुख़ भाषा, संस्कृति, सामाजिक एवं प्राकृतिक अवदान तथा भाषा, विज्ञान आधारित लिपि)

3. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा

फिर से जगे और गहजे : क्यों और कैसे ?

Re-organization of Gramsabha, Paṛha, Dhumkuriya, Bishusendra ??

परिचय :– पौराणिक व्यवस्था :– कई बुजूर्ग बतलाते हैं कि उनका बचपन गांव में बीता और मैट्रिक तक की पढ़ाई गांव में रहकर पूरा किये। उन दिनों गांव में लड़कों का समूह किसी एक जगह बैठा करता था और वहाँ पर एक बुजूर्ग द्वारा नवयुवकों को अपनी भाषा में कहानी एवं बुझवल बतलाया करते थे। इसी तरह जाड़ा के दिनों में कटे हुए फसल की रखवाली के लिए बना कुम्बा में सोने जाते थे और वहाँ शादी गाना (जाड़ा मौसम का राग) गाने के लिए सीखते थे। अपने से बड़े उम्र वाले से मांदर बजाना सीखते थे। हल बनाना, छप्पर छारना लकड़ी का औजार बनाना आदि कार्य गांव में रहकर गांव के बड़–बुजूर्गों से सीखा जाता था। ऐसा शिक्षण–प्रशिक्षण गांव में अभी भी प्रचलित है। उन्होंने भी उसी समूह में रहकर गाना, बजाना एवं ग्रामीण नुत्य सीखा। परन्तु अब आधुनिक शिक्षा के प्रसार से ये तमाम ग्रामीण शिक्षा की चीजें विलुप्ति की ओर जा रही हैं। इसके स्थान पर मोबाइल में गाना और गूंगा डांस ने जगह ले रखा है, जो आदिवासी परम्परा एवं इतिहास के लिए एक चुनौती है। एक महिला, अपने बचपन के समय की बातें याद करते हुए कहती हैं कि गर्मी के दिनों में सभी तरह के कार्य सिखलाये जाते थे। हमलोग सभी लड़कियाँ चटाई बनाने के लिए घेतला बीनती थीं। उसके बाद उससे चटाई बनाती थीं। कभी–कभी नेठो बनातीं, कोई–कोई झाडू बनाने हेतु कताई करती थीं। ये सब बड़े बुजूर्ग की देखरेख में किया जाता था।

[धुमकुड़िया नू हुरमी रकम घी उज्जना–बिज्जना गही प्रशिक्षण मना लगिया। ओरोत आःली तंगहय कुके परिया ता बेड़न ईयाइद ननर ब'ई – एम जामों कुकेर, अयंग बगय, अज्जी बगय (सभी महिलाएँ) नेखअय एड़पन्ता ढाबा कोंहा रआ लगिया, अन्नू जेठे उल्ला बेड़ा घेतला एस्सा लइक्कम। ओंघोंन–ओंघोंन पिटरी सटना, बिंडो कामना, चालकी कामना गुट्टी सिखिरआ दरा कमआ लइक्कम। एन्नेम बबा गर 5–6 झनर मन्न एख़ नू ओक्कर सनई मेःरन एःप ढेरआ लगियार अरा उगता–पगसीन छोलआा–कमआ लगियार। एकअम पुना उगता पगसी कमआ सिखिर'उर पचगिर गने लग्गर की सिखिरआ कमआ लगियर। फग्गु–ख़द्दी गे पेल्लर एड़पन एःगर चेम–चेम ले उईय्या लगियर। इबड़ा गुट्टीन एन इन्नेला घोखदन ख़ने आद ओन रकम ती धुमकुड़िया ता नलय बेसेम लग्गी।]

धुमकुड़िया का पतन कैसे हुआ – वैसे धुमकुड़िया के पतन का सही–सही कारण तो अज्ञात है। पर गाँव समाज के लोगों से बातचीत करने पर कुछ ऐतिहासिक घटना क्रम प्रकाष में आता है। छोटानागपुर के महाराजा का पुराना किला झारखण्ड में राँची जिला के रातू थाना क्षेत्र में अवस्थित है। रातू महाराजा के समय काल में अंगरेजी हुकुमत तथा राजा–जंमीदार के अन्याय के खिलाफ कई आदिवासी आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के इतिहास में 1832 का लरका आंदोलन भी एक है, जिसमें इस आन्दोलन के नेता एवं परिवार–कुटुम्ब के लगभग 150 सदस्य एक ही दिन तथा एक ही जगह षहीद हुए। इस आंदोलन के बाद वर्ष 1834 में पहला स्कूल स्थापित हुआ। उसके बाद अंगरेजों द्वारा कई स्कूल खोले गये। उसके बाद वर्ष 1900 में अमर षहीद बिरसा मुण्डा का आंदोलन हुआ। लोग अंगरेज सरकार और राजषाही–जंमीदारी व्यवस्था से लड़ रहे थे। इन सबके बीच अंगरेजी समय में आदिवासी जनमानस के बीच चर्च भी आया और प्राथमिक स्कूल एवं अस्पताल भी खोला गया। इसी क्रम में पुराना सिसई थाना क्षेत्र में 1936 में 5 प्रथमिक स्कूल चर्च के द्वारा खोला गया और अभी भी चल रहीं है। इन नई व्यवस्था की बातें एवं चीजें पौराणिक व्यवस्था से विकसित एवं नेत्रग्राहय थीं। आदिवासियों के बीच जो दिखता है वही चलता है और जो नहीं दिखता है, वह विलुप्त हो जाता है। पौराणिक धुमकुड़िया में लेखन कला का आभाव था, जो वर्तमान स्कूल के आने के बाद विलुप्त होने का कारण बना।

इन नई व्यवस्था वाले षिक्षा संसाधन के सामने पारम्परिक पाठशाला धुमकुड़िया, नहीं टिक पायी, क्योंकि आधुनिक स्कूल में नेत्र ग्राहय शिक्षा सामग्री अर्थात लिखने–पढ़ने का तरीका था और यह स्कूल रोजगार से जोड़ता था। ऐसी स्थिति

में लोग नई व्यवस्था की ओर मुड़ने लगे। इस नई व्यवस्था ने लोगों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा पर अपनी मिट्टी की पहचान से दूर करने लगा। इस तरह समय काल के अंतराल में आदिवासी आंदोलन होते रहे और झारखण्ड राज्य का भी गठन हो गया। इधर भारत सरकार अवं झारखण्ड सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा शिक्षा लगाने जा रहा है। अब समय हैं गाँव स्तर पर स्कूल के साथ धुमकुड़िया भी स्थापित हो तथा धुमकुड़िया में श्रुति साहित्य के साथ लिखित साहित्य को भी शामिल किया जाय और आदिवासी समाज तथा गांव में Pre-School Education में राजकीय स्तर पर उरांव (कुड़ुख़) भाषी क्षेत्र में धुमकुड़िया को भी शामिल किया जाए। ऐसा होने पर समाज की भाषा और संस्कृति दोनों संरक्षित तथा सवंर्द्धित हो पाएगी।

धुमकुड़िया का पुनर्गठन एवं सषक्तिकरण क्यों? – वर्तमान में, गाँव–घर में रह रहे लोग अपने को कमजोर और दिशाहीन समझने लगे हैं। क्या, हमारे पूर्वज कमजोर और दिशाहीन थे? क्या, हम सभी कमजोर और दिशाहीन हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिए हमें स्वयं से प्रष्न करना होगा – ''क्या, जिस समय हमारे पूर्वजों के पास स्कूल–कॉलेज, थाना–पुलिस, कोर्ट–कचहरी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा आदि नहीं पहूँचा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने किन शक्तियों के बल पर अपने समूह को एकसूत्र में बांधकर रखा? क्या, हमलोग उन ताकतों को संजोकर रख पाये हैं? क्या, हम अपने पूर्वजों के धरोहरों को सुरक्षित रख पाये हैं? दुनियाँ के सामने खड़े होने के लिए हमें उन शक्तियों का सशक्तिकरण करना होगा। हम सभी के पूर्वजों ने परम्परागत आदिवासी कुँड़ुख़ समाज को समूह में बांध कर रखने एवं सामाजिक धरोहरों को अगली पीढ़ी तक पँहूचाने के लिए सात पहरेदार शक्तियों को चुना और उसके माध्यम से विष्व के अनेकानेक बदलाव एवं दबाव (राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक) के बीच समाज को बचा कर रख पाये। इस सामाजिक पाठशाला में प्रशिक्षित होकर धमसरका/सुसंस्कृत व्यक्ति बनना ही धुमकुड़िया का उदेष्य रहा है।

गांव समाज की शक्तियाँ इस प्रकार हैं –

1. अखड़ा
2. धुमकुड़िया
3. चाःला थान (चाःला अयंग थान)
4. देबी थान (गवाँ देवती थान)
5. पद्दा सबहा (गाँव सभा/ग्राम सभा)
6. पड़हा/पड़हा–पाट
7. बिसु सेन्दरा आदि।

परम्परागत आदिवासी समाज में इसकी व्याख्या इस प्रकार है –

1. अखड़ा – अख़आ गे खटना अरा अख़कन एःदना दरा संगोठ नु निसाब ननना अड्डा। शारीरिक श्रम कर सीखने का स्थल तथा अनुशासन एवं न्याय करने का स्थल।

2. धुमकुड़िया – यह उराँव गाँव की एक पारम्परिक सामाजिक पाठशाला है। प्राचीन काल से ही यह गाँव में एक शिक्षण संस्था के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। धुमकुड़िया में बचपन से जवानी तक मानव जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रशिक्षित होकर निखरा हुआ व्यक्ति को धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) अर्थात Trained Adult कहा जाता था। बच्चों को जब खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखाना होता है तो बच्चों को कहा जाता है – कला, धुम ताअ़ बेःचके/लगे धुम ताअ़ बेःचा। दूसरे षब्दों में कहें कि वह पद्धति या माहौल जहां बच्चे बचपन में खेल–खेल में गाना–बजाना–नाचना सीखा करते हैं। कुड़िया का अर्थ छोटा घर अथवा केन्द्र होता है। इस प्रकार – धुम ताअ़

+ कुड़िया शब्द में ताअ़ का लोप होने पर धुमकुड़िया शब्द बना। दरअसल ताअ़ ध्वनि प्रेरणार्थक क्रिया का मजही लटखु (मध्यमा प्रत्यय) है। यह मध्यमा प्रत्यय, कुंडुख़ भाषा में प्रेरक अर्थात सीखलाने वाले का बोधक है। यहां धुमकुड़िया शब्द ननरकी तिंगिर'उ को सूचित करता है। इस तरह धुमकुड़िया वह है जहां बच्चे अपने जीवन के आरंभिक समय में गाना–बजाना–नाचना सीखते हुए अपने व्यक्तित्व में निखारपन लातें है और धीरे–धीरे धमसरका अवस्था की ओर बढ़ते हैं तथा वह स्थान या छोटा घर कुड़िया होता है। इसी तरह से गांव में जब कभी नवजवान लड़के–लड़कियां अखड़ा में लय–ताल के साथ नाचते गाते हैं तो बड़े बुजूर्ग लोग प्रशंसा करते हुए कहा करते हैं – इन्ना गा जोंखर–पेल्लंर अकय दव बेःचा लगियर धुम्म–धुम्म ख़रख़ा लगिया। धुम्म–धुम्म ख़रख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशासित तरीके से नाच–गान करना। वहीं पर जब लड़के–लड़कियां अखड़ा में लय–ताल को बिगाड़ते हुए नाच–गान करते हैं, तो बुजूर्ग लोग मना करते हुए कहते हैं – नीम नला–बेःचा बल्ला लगदर, धम्म–धुम्म ख़रख़ा लगी। इस प्रकार जहां धम्म–धुम्म ख़रख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशानहीन तरीके से अथवा राग–रंग के विपरित नाच–गान करना एवं सीखना समझा जाता है। वहीं पर धुम्म–धुम्म ख़रख़ना अरा बेःचना का अर्थ – अनुशासित तरीके से नाच–गान करना एवं सीखना होता है। धुम्म–धुम्म + कुड़िया का अर्थ वैसा स्थल या केन्द्र जहां अनुशासित तरीके से नाच–गान करने एवं सीखने की गूंज उठती हो। इस तरह कहा जा सकता है कि धुम ताअ़ + कुड़िया से धुमकुड़िया शब्द बना है। बच्चा जब गाना–बजाना–नाचना सीखता है तो इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस धुमकुड़िया का धुम Pre education या Play School का परिचायक है। यह उम्र बढ़ने के साथ पेल्लो एड़पा अरा जोंख़ एड़पा (Boys and girls education Centre) में परिवर्तित हो जाता है, जो धुमकुड़िया ती उरूख़का, धमसरका आल (प्रशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति) कहलाता है। ठीक इसके विपरीत थमसरका का अर्थ सभी तरह से थका हुआ या हारा हुआ या दिवालिया घोषित व्यक्ति होता है।

3. चाःला अयंग (चाःला थान) – चाल चिअ़उ अयंग। गाँव की विशेष दैवीय शक्ति जहाँ सरहूल के अवसर पर विशेष पूजा–अर्चना, गाँव के सभी लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है। थान = स्थल।

4. देबी अयंग (देबी थान) – दव ननु मेःद मलका, अयंग छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग। देवाँ/देव सवंग तली। देवाँ बि'ई = देबी। वैसा पूजा स्थल, जहाँ स्त्री–पुरूष, युवक– युवतियाँ, बच्चे सभी जाया करते हैं। थान = स्थल। हो भाषा में दव ननु मेःद मलका सवंग को देंःवाँ कहा जाता है तथा अनिष्टकारी को दाँःड़ी कहा जाता है। कुँड़ख़ में अनिष्टकारी शक्ति को नाद कहा जाता है। अंगरेजी में देव या देवाँ को Good Spirit तथा नाद या दाँःड़ी को Bad Spirit कहा जाता है।

5. पद्दा सबहा (गांव एवं गांव सभा) – गाँव की सभा। सबुति (प्रमाण) पुराबअ़ना मलता सबुति चिअ़ना अड्डा। पाट ओक्कना – वयस्कों को विशेष ज्ञान सीखने हेतु गुरू परम्परा में शामिल होना ह़ोता था।

6. पड़हा – पड़हा का अर्थ पड़ा नु पाःड़ा अरा पड़ा नु पड़गरआ। कई गाँवों मिलकर एक पड़हा का गठन किया गया है। पड़हा का कार्य – अपने कबिला को बाहरी दबाव से बचाना तथा कबिलाई समाज के अन्दर अनुशासन बनाये रखना है एवं रक्त की शुद्धता को बरकारर रखना।

7. बिसु सेन्दरा (बसा नना गे सेन्दरा) – रूढ़ी परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत बिसु सेन्दरा एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सभा है। जब किसी मामले का निस्पादन गांव सबहा तथा पड़हा स्तर पर नहीं होता था तब 12 वर्स म होने वाला यह विशेष सबहा जो परम्परागत कुँडुख़ समाज के अन्दर एक उच्चतम सामाजिक तथा न्यायिक सबहा है का आयोजन होता था। इस बिसु सेन्दरा का निर्णय सबों को मान्य होता था और यदि जो वहां के सामाजिक निर्णय को नहीं मानता था तथा जो समाज हित में कलंकित रहा हो, वैसे लोगों का सामुहिक सेन्दरा (वध) हो जाया करता था। परन्तु धीरे– धीरे वह

मानव सेन्दरा प्रथा समाप्त हो गयी। गाँव की वर्तमान समस्या के समाधान हेतु इन शक्तियों को फिर से जोड़ने एवं स्थापित करने की आवश्यकता है।

आज के दौर में समाज को निम्नांकित प्रष्नों के उत्तर ढूँढ़ने होंगे :–

1. वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने के लिए कुँडुख़ भाषा में परीक्षा लिखना पड़ता है। ऐसे में यदि हमारे बच्चे परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? क्या, हम इसके लिए तैयार हैं ?
2. हमारे बच्चे माँ–पिताजी एवं बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, क्यों ?
3. हमारे बच्चे नशाखोरी एवं बुरी आदत की ओर जा रहे हैं, क्यों ?
4. हमारी मातृभाषा एवं नेगचार मिटते जा रहा है, क्यों ?
5. हमारी परम्परा एवं पुरखों का आदर्श कैसे बचेगा ?
6. हमारे बच्चे पढ़ाई–लिखाई में कैसे आगे बढ़ेंगे ?
7. हमें दूसरे लोग निम्नतर समझते हैं, क्यों ?
8. अखड़ा, क्यों सूना हुआ ?
9. धुमकुड़िया, क्यों मिट गया?
10. पड़हा, क्यों नहीं बैठता है?

विकसित मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता :

1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6. अध्यात्म। अथवा 1. रोटी 2. कपड़ा 3. मकान 4. स्वास्थ्य 5. शिक्षा 6. रोजगार।

गाँव की समस्या एवं समाधान के उपाय :–

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु अंतिम तीन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ना ही समस्या के समाधान का द्वार खोलता है। पूर्वजों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह मार्ग तैयार किया था, किन्तु हम सबों ने इसे त्यागकर भारी भूल की और अब हमें पछतावा हो रहा है। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में अपने गांव–समाज को आधुनिक व्यवस्था को अपनाने के साथ अंतिम तीन प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप चलना पड़ेगा तभी समाधान निकलेगा।

समाधान के उपाय इस प्रकार हो सकते हैं –

1. ग्राम सभा (पद्दा सबहा) को सबल और प्रगतिशील बनाना।

2. पड़हा को सबल और प्रगतिशील बनाना।

3. अखड़ा फिर से सजे, अखड़ा फिर से गहजे। पद्मश्री डॉ. रामदयाल मुण्डा जी कहा करते थे – जे नाची से बाची।

4. धुमकुड़िया पुनर्गठित हो। डॉ0 मुण्डा जी की स्वप्न था – अखड़ा के साथ एक धुमकुड़िया हो, जहाँ पुस्तकालय एवं दैनिक समाचार पत्र के साथ प्राथमिक उपचार की सामग्री भी हो। धुमकुड़िया से शिक्षित व्यक्ति को धमसरका आल अर्थात Trained Person या ठोक–बजा के तैयार किया अथवा तप कर निखरा हुआ व्यक्ति। गांव स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सामंजस्य तैयार करना होगा और आज के डिजिटल युग में ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए बजन मशीन, डिजिटल ब्लडप्रेसर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर आदि उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन उपकरणो के माध्यम से थेड़ा सा प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस जागरूकता का फायदा जरूरत मंद लोगों को समय रहते अस्पताल पँहुचाया जा सकता है।

5. हमारे भाई–बहन अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (आदिवासी) के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं किन्तु जिसके सहारे वे आगे बढ़ रहे होते हैं उन सहारों को मुड़कर नहीं देख पा रहे हैं। यदि आगे बढ़े हुए लोग अपनी कमाई का एक प्रतिशत हिस्सा गाँव के धुमकुड़िया को दान करें तो शायद गाँव की समस्या का समाधान हो जाय। क्या, आदिवासी ऐसा करने की इच्छा रखते हैं? यदि, इच्छा पखते हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाएँ।

धुमकुड़िया के पुनर्गठन का उदेश्य :–

1. भाषा–लिपि, संस्कृति, परंपरा, रीति–रीवाज आदि की रक्षा।
2. ग्रामीण शिक्षा के माध्यम को माध्यम बनाकर वर्तमान शिक्षा की उँचाई तक पँहुचना।
3. कृषि एवं वन आधारित रोजगार उन्मुख शिक्षा।
4. सामाजिक नेतृत्व के लिए लोगों को तैयार करना।
5. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागृति लाना।
6. स्वास्थ्य जनशिक्षा का प्रचार–प्रसार।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अवसर दिलाना एवं प्रचार–प्रसार करना।

संचालन व्यवस्था :–

1. गाँव स्तर पर –

यह सिर्फ गाँव के युवक–युवतियों का संगठन होगा तथा इसे गांव वाले मिलकर चलाएंगे। समाज की ओर से इसके लिए एक पारा शिक्षक/अनुशिक्षक/जोंख़ मुद्धा (Boyes Monitor) पेल्लो मुद्धा (Girls monitor) चुने जाएँ। सरकार, इसके संचालन में मदद करे। संचालन समूह इस प्रकार होनी चाहिए – धुमकुड़िया बेल, धुमकुड़िया देवान, धुमकुड़िया भंडारी, जोंख़ कोटवार, पेल्लो कोटवार, पाटगुरू, धुमकुड़िया सवंगिया।

2. पड़हा स्तर पर –

इस समूह में पड़हा गाँव के महिला–पुरूष एवं युवक–युवतियाँ शामिल होंगे जो ग्राम स्तरीय कार्य व्यवस्था की देखरेख करेंगे।

आय के श्रोत :–

1. मासिक सहयोग राशि से।
2. साप्ताहिक सहयोग (मुठा चावल) से।
3. ग्रामीण वार्षिक सहयोग (उड्डु ख़ेस्स) से।
4. सामूहिक खेती एवं वनोत्पादन से।
5. समाज सेवी संस्थाओं एवं समाज सेवियों के दान से।
6. सरकारी मदद से।

गाँव की शक्तियाँ :–

पद्दन ख़ोंःड़ना अरा संभड़ाऩना सवंग (पंचे गोटंग गुरूवट मन्तरा) :–

1. अखड़ा – ओरमर गे।
2. धुमकुड़िया – मल बेंजेरका जोंख़र–पेल्लर गे।
3. चाःला थान (चाःला अयंग अड्डा) – ओरमर गे, पहें पद्दा ता चाःलो लेखआ।
4. देबी थान (देबी अयंग अड्डा) – ओरमर गे।
5. पद्दा सबहा (ग्राम सभा) – सबुति उइना अरा चिऩना अड्डा, गाँव की सभा।

6. पड़हा – ओरमा सेयानर गे।
7. बिसु सेन्दरा – कई पड़हा मिलकर की गई विशेष सभा।

वर्तमान गांव की आवश्यकता :–
1. प्राथमिक उपचार का साधन (First Aid)
2. पुस्तकालय (Librery)
3. पाठशाला (School) – पारम्परिक (Conventional) एवं आधुनिक (Modern)
4. दूरसंचार का साधन (Tele-communication)
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (Sports & Entertainment)

धुमकुड़िया हेतु संसाधन की आवश्यकता :–
1. प्राथमिक उपचार का साधन (First aid) – साधारण दवाईयाँ, बजन मशीन, डिजिटल ब्लडप्रेसर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन और थर्मामीटर।
2. पुस्तकालय (Librery) – दैनिक समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका।
3. पारम्परिक (Conventional) एवं आधुनिक (Modern) पाठशाला हेतु संसाधन।
4. दूरसंचार का साधन (Tele-Communication) – रेडियो, टेलिविजन एवं इन्टरनेट।
5. खेलकूद एवं मनोरंजन का साधन (Sports & Entertainment) – हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी तथा मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ आदि।
6. परम्परागत खेलकूद एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनर्रावलोकन (Traditional sports & Cultural Rehabilitation).

संकलन :–
डॉ. नारायण उराँव
संकलन एवं विचार, 22 पड़हा पारम्परिक ग्रामसभा बिसुसेन्दरा,
झारखण्ड, दिनांक : 30 सितम्बर 2022, मो0 : 9771163804.

xxx

ꤶꤴꤴꤶꤵ (धुमकुड़िया)

धुमकुड़िया, उराँव आदिवासी समाज की एक पारम्परिक सामाजिक पाठशाला एवं कौशल विकास केन्द्र है। प्राचीन काल से ही यह, उराँव गाँव में एक शिक्षण–शाला के रूप में हुआ करता था, जो गाँव के लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। समय के साथ यह पारम्परिक सामाजिक पाठशाला विलुप्त होने की स्थिति में है। कुछ दशक पूर्व तक यह संस्था किसी–किसी गाँव में दिखलाई पड़ता था किन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रचार–प्रसार के बाद यह इतिहास के पन्ने में सिमट चुका है। कुछ लेखकों ने इसे युवागृह कहकर यौन–षोषन स्थल के रूप में पेश किया, तो कई मानवषास्त्री इसे असामयिक बतलाये हैं, किन्तु अधिकतर चिंतकों ने इसे समाज की जरूरत कहते हुए सराहना की है।
आदिवासी परम्परा में मान्यता है कि – यह लयवद्ध तरीके से समाज के लोगों के लिए सामाजिक जीवन जीने की कला सीखने एवं कौशल विकास, उन्नयण करने का केन्द्र है। (It is a traditional social rhythmic learning school as well as skill development centre for Children and Young among Oraon tribe.)

कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासी समाज में धुमकुड़िया एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था थी जो किसी गांव या टोला के सभी लड़के–लड़की बच्चों के लिए (लिंग भेद रहित) होता था। ऐसा उदाहरण किसी भी देश या समुदाय में सामान्य रूप से प्रचलित नहीं दिखता है। वैसे भारतीय इतिहास में पुराने राजा–महाराजाओं के राजपाट में गुरूकुल नामक संस्था हुआ करता था, जिसमें सिर्फ शासक वर्गों के पुरूष बच्चे ही प्रवेश पाते थे। जन–साधारण एवं महिलाओं या युवतियों को वहाँ प्रवेश नहीं लिया जाता था। – **अद्दी अखड़ा, राँची।**

4. परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा, सिसई-भरनो क्षेत्र की झलकियाँ

वर्ष– 2011

दिनोक 20, 21 एवं 22 मई 2012 को 14 गांव (9 पड़हा एवं 7 पड़हा) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में 9 पड़हा करकरी–अताकोरा तथा 7 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर के परम्परागत पड़हा बेल, देवान, करठा, कोटवार तथा पहान, पुजार, महतो सहित गांव के महिला–पुरूस एवं नवजवान के उपस्थिति में ग्राम शिवनाथपुर, सिसई, गुमला में किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विषय पर चर्चा हुआ। बैठक के अंतिम दिन 22 मई को डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' भी शामिल हुए और समाज के लोगों के सामने कुँडुख भाषा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जनसमूह ने इसे सहर्स स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

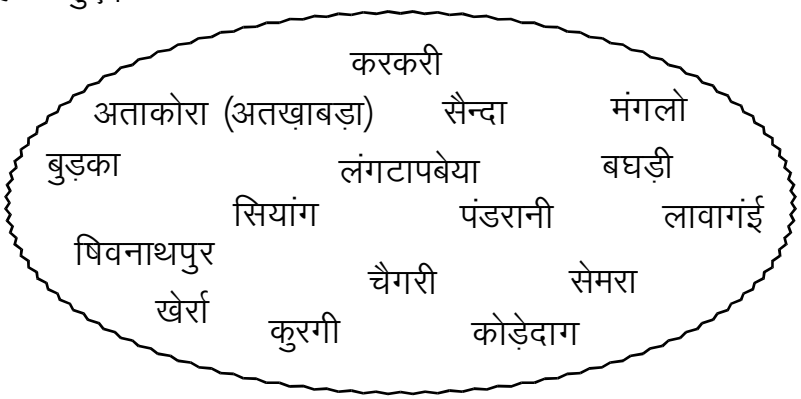

वर्ष– 2012

दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 को 22 गांव (9 पड़हा, 7 पड़हा एवं 5–6) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक सम्पन्न हुआ। बैठक में 9 पड़हा करकरी–अताकोरा, 7 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर तथा 5–6 पड़हा महादेव चैगरी–लोंगा के परम्परागत पड़हा बेल, देवान, करठा, कोटवार तथा पहान, पुजार, महतो सहित गांव के महिला–पुरूष एवं नवजवान के उपस्थिति में ग्राम मंगलो, सिसई, गुमला में किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विषय पर चर्चा हुआ। बैठक में समाज के लोगों के सामने कुँडुख भाषा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

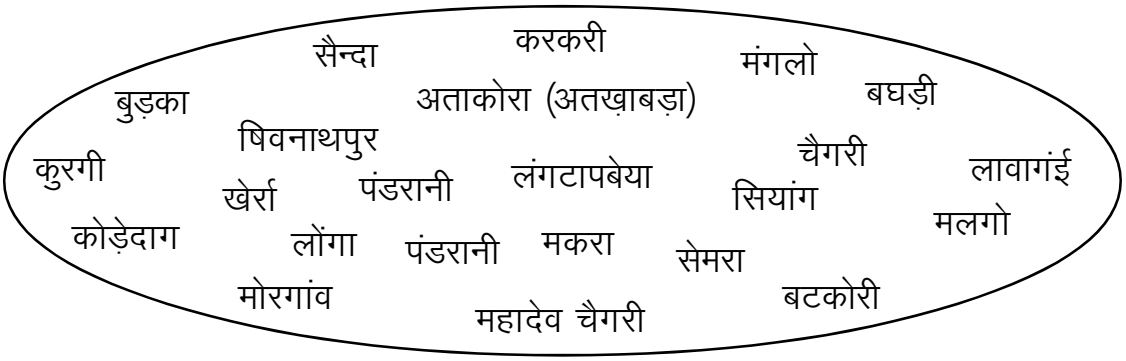

वर्ष– 2013

दिनांक 22 एवं 23 मई 2013 को 22 गांव (9 पड़हा, 7 पड़हा एवं 5–6) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक किया गया। बैठक में 9 पड़हा करकरी–अताकोरा, 7 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर तथा 5–6 पड़हा महादेव चैगरी–लोंगा के परम्परागत पड़हा बेल, देवान, करठा, कोटवार तथा पहान, पुजार, महतो सहित गांव के महिला–पुरूष एवं नवजवान के उपस्थिति में ग्राम सैन्दा, सिसई, गुमला में किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विसय पर चर्चा हुआ। बैठक में समाज के लोगों के सामने कुँड़ुख भाषा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने इसे सहर्स स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

वर्ष– 2014

दिनांक 21 एवं 22 मई 2013 को 22 गांव (9 पड़हा, 7 पड़हा एवं 5–6) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक किया गया। बैठक में 9 पड़हा करकरी–अताकोरा, 7 पड़हा चैगरी–शिवनाथपुर तथा 5–6 पड़हा महादेव चैगरी–लोंगा के परम्परागत पड़हा बेल, देवान, करठा, कोटवार तथा पहान, पुजार, महतो सहित गांव के महिला–पुरूष एवं नवजवान कें उपस्थिति में ग्राम सैन्दा, सिसई, गुमला में किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विषय पर चर्चा हुआ। बैठक में समाज के लोगों के सामने कुँड़ुख भाषा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

वर्ष– 2015

दिनांक 09 – 10 मई 2015 को, 52 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन समिति एवं अद्दी कुँड़ुख चा:ला धुमकुड़िया पडहा अखड़ा (अद्दी अखड़ा) के संयोजन में मौजा – चैगरी छपरबगीचा, थाना सिसई, जिला गुमला में परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के 52 ग्राम सभा के आदिवासियों ने, दो दिवसीय सम्मेलन कर कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में तोलोंग सिकि को सामाजिक मान्यता प्रदान किया तथा इस लिपि से परम्परागत धुमकुड़िया के माध्यम से पढ़ाई–लिखाई आरंभ करने की सामाजिक घोषणा जारी की। सम्मेलन में झारखण्ड सरकार की पूर्व शिक्षा मंत्री, श्रीमती गीताश्री उराँव एवं पूर्व विधायक श्री समीर उराँव तथा पड़हा के पदाधिकारियों के साथ, चिकित्सक सह समाजसेवी डॉ. नारायण उराँव मौजूद थे।

NEWS WING

कवर विंग

09–10 मई 2015

दो दिवसीय 52 पड़हा बिसु सेन्दरा महाधिवेशन 2015 संपन्न

कुँड़ख परम्परा व रस्म रिवाज को सख्ती से निभाने का निर्देश

पड़हा के बुधना उरावं (बेल), गजेन्द्र उरावं (देवान) एवं बुधराम उरावं (भंडारी) द्वारा जारी विज्ञप्ति पर आधारित आलेख

वर्ष– 2016

दिनांक 08–09 मई 2016 को 52 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन ग्राम : बुड़का, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में सम्पन्न हुआ। पड़हा बिसुसेन्दरा सम्मेलन में कुँड़ुख़ भाषा–संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए कठोर निर्णय लिया गया। निर्णय में कहा गया कि सामुहिक प्रयास से कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को झारखण्ड सरकार द्वारा शिक्षा पद्धति में शामिल कर लिया गया, जिसके लिए सरकार के सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब समाज की बारी है कि सभी मिलकर इसे अपने जीवन पद्धति में यानि पठन–पाठन में शामिल करें। इस सम्मेलन में स्वयं सेवी संस्था – अद्दी कुँड़ुख़ चा:ला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (अद्दी अख़ड़ा) के सचिव श्री जिता उराँव, कोषाध्यक्ष श्री बिपता उराँव, 52 पड़हा के बेल, देवान, कोटवार एवं ग्राम सभा के पहान, पुजार, महतो, करठा, गँवरो लोगों के साथ मिलकर परम्पारिक सामाजिक स्वशासन व्यवस्था को, वर्तमान परिस्थिति में व्यवहारिक बनाने की दिशा में ढाँचा तैयार किया गया।

वर्ष– 2017

दिनांक 20 एवं 21 मई 2017 को 52 पद्दा ग्रामसभा पड़हा बिसुसेन्दरा सम्मेलन, ग्राम : दुम्बो, भरनो, गमला में सम्पन्न हुआ जिसमें गाँव के प्रतिनिधियों के साथ (दायें से) पूर्व विधायक श्री समीर उराँव, श्री लोहरा उराँव, श्री अरविन्द उराँव, डा. नारायण उराँव, पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीताश्री उराँव एवं श्रीमती रेवा किसलय जी।

वर्ष– 2018

दिनांक 04–06 मई 2018 चरकु बगिचा, सिसई, गुमला में परम्परागत उरांव समाज का पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : सिसई नावाटोली, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला सिसई नवाटोली में ग्रामसभा सदस्यों के साथ सचिदानंद उराँव, सुकदेव उराँव 'मुखिया', जिता उराँव, सुकदेव उराँव 'डोम्बा', महाबीर उराँव, लोहरा उराँव, श्रीमती चन्द्रमनी उराँव, अरबिन्द उराँव, डॉ. नारायण उराँव आदि की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

वर्ष– 2019

दिनांक 05.05.2019 दिन रविवार को, परम्परागत कुँड़ुख़ समाज का 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा का 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी महतो, पहान पुजार उपस्थित थे। बिसु सेन्दरा आयोजन समिति के कोटवार श्री गजेन्द्र उराँव, विगत 9वें वर्ष अपने सहयोगियों के साथ लगातार करते आ रहे हैं। इस अवसर पर अद्‌दी अखड़ा, संस्था के सचिव श्री राजेन्द्र भगत, चिकित्सक डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा' एवं कार्तिक उराँव कुँड़ुख़ उच्च विद्यालय, मंगलो के प्राधानाचार्य श्री अरविन्द उराँव ने ग्रामीणों का मार्ग दर्षन किया।

वर्ष– 2020

दिनांक 21 मई 2020 दिन बईसाक पुर्णिमा को 22 पड़हा सामाजिक ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का एक दिवसीय सम्मेलन ग्राम : सैन्दा, पो. : छारदा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) के वीर बुधुभगत कुँड़ुख़ लूरएड़पा, छोटका सैन्दा में सम्पन्न हुआ। कोरोना महामारी के चलते अधिक लोग नहीं पहुँचे। समन्वय सम्मेलन की अध यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। बैठक में परम्परागत आदिवासी समाज (उराँव) के बच्चों को परम्परागत शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा से जोड़ने तथा रूढ़ीगत सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बिसुसेन्दरा 2019 में लिये गये निर्णय को सर्वसहमति से पारित एवं अनुमोदित किया गया। इस सम्मेलन में अद्‌दी अखड़ा, राँची से आये प्रतिनिधि डॉ० नारायण उराँव एवं श्री महादेव टोप्पो ने सुझाव दिया कि बिसुसेन्दरा के इस निर्णय को एक लिखित प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल एवं टी.आर.आई., रांची को भेजें।

वर्ष– 2021

Hkkjrh; lan }kjk ikfjr isk dkuw 1996 (PESA – 1996) के धारा 4(घ) के आलोक में दिनांक 17 एवं 18 अप्रील 2021 को 22 पड़हा सामाजिक ग्रामसभा बिसु सेन्दरा सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। यह सम्मेलन ग्राम : करकरी, पो : करकरी, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में आयोजित हुआ। बैठक में परम्परागत आदिवासी समाज (उराँव) के बच्चों को परम्परागत शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा से जोड़ने तथा रूढ़ीगत सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बिसुसेन्दरा 2019 में लिये गये निर्णय को सर्वसहमति से पारित एवं अनुमोदित किया गया। इस सम्मेलन में अद्दी अखड़ा, राँची के पर्यवेक्षण में हुआ और सुझाव दिया गया कि बिसुसेन्दरा के निर्णय पर एक लिखित प्रतिवेदन के साथ जिला न्यायालय परिसंघ के विधि जानकारों के साथ विचार–विमर्ष किया जाना चाहिए और उनके साथ हुए बातों को समाज के लोगों के बीच रखा जाना चाहिए।

वर्ष– 2022

भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996 (PESA – 1996) के धारा 4(घ) के आलोक में दिनांक 21 एवं 22 मई 2022 दिन शनिवार एवं रविवार को 22 पड़हा गांव (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह 22 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : अताकोरा गडरीटोला, थाना : भरनो, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एवं संचालन, परम्परागत गांव सभा के पंच्चों द्वारा किया गया। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पूजारी महतो, पहान पूजारी उपस्थित थे।

22 पड़हा परम्परागत ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 सम्मेलन

कार्यालय :— पड़हा पिण्डी, ग्राम : छोटका सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला, पिन कोड — 835324

दिनांक : 21 मई (शनिवार) एवं 22 मई (रविवार) 2022 को दो दिवसीय, 22 पड़हा पारम्परिक ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन की बैठक, अताकोरा गडरी टोली, थाना : भरनो, जिला : गुमला (झारखण्ड) में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में पारम्परिक ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव तथा 6 पड़हा गांव) के लोग दो दिवसीय सम्मेलन कर, विधि विशेषज्ञों से समीक्षा के उपरांत वर्णित तथ्यों को संकलित कर, खुला अधिवेशन में अनुमोदित एवं पारित किये।

यह ''22 पड़हा परम्पारिक ग्रामसभा बिसुसेन्दरा'' परम्परागत उराँव समाज का परम्पारिक सामाजिक एवं न्यायिक संगठन है। सिसई—भरनो क्षेत्र में यह बैठक प्रतिवर्ष बैसाख महीने में हुआ करता है, परन्तु कोरोना महामारी तथा पंचायत चुनाव के चलते प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस बार यह बैठक एक सप्ताह बाद सम्पन्न हुआ। परम्परागत ग्रामसभा—पड़हा—बिसुसेन्दरा के पड़हा बेल श्री दशरथ टाना भगत, पड़हा देवान श्री गजेन्द्र उराँव एवं पड़हा भँड़ारी श्री मटकु उराँव की देखरेख एवं संयोजन में यह दो दिवसीय सामाजिक बैठक समाप्त हुआ। इस बैठक में 22 गांव के पहान, महतो, पुजार, करठा, कोटवार एवं अन्य पड़हा प्रेमी के साथ मानवशास्त्री डॉ० करमा उराँव, साहित्यकार श्री महादेव टोप्पो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के असिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री रामचन्द्र उराँव, राजी पड़हा, भारत के पड़हा देवान श्री फउदा उराँव एवं कैप्टन लोहरा उराँव, समाज सेवी श्री लवहरमन उराँव, समाज सेवी श्री दिनेश उराँव, अद्दी अखड़ा के अध्यक्ष श्री जिता उराँव, तोलोंग सिकि के संस्थापक डॉ० नारायण उराँव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सुश्री पार्वती तिर्की तथा अधिकाधिक संख्या में महिलाएँ उपस्थित हुए।

बैठक में दिनांक 21.05.2022 दिन शनिवार को तथा दिनांक 22.05.2022 दिन रविवार को 12.00 दिन तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार—विमर्श हुआ, जो इस प्रकार है —

I. बिसुसेन्दरा 2019 में स्वीकृत तथा बिसुसेन्दरा 2020 में पुनः सर्व सहमति से स्वीकृत एवं अनुमोदित प्रस्ताव पर दिनांक 09 फरवरी 2021 को डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची में समीक्षा कर कंडिका 11, 12 एवं 13 को यथावत स्वीकार किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को आवश्यक क्रियार्थ समर्पित किया गया है।

II. बिसुसेन्दरा 2019 को स्वीकृत तथा बिसुसेन्दरा 2020 में सर्व सहमति से स्वीकृत एवं अनुमोदित प्रस्ताव को बिसुसेन्दरा 2022 में पुनः पारित एवं अनुमोदित किया गया, जो एक अभिलेख की तरह है। (06 पृष्ठ की छाया प्रति।)

III. बिसुसेन्दरा बैठक के पहले दिन दिनांक 21.05.2022 तथा दिनांक 22.05.2022 को दोपहर 12 बजे तक के कार्यशाला में ''पारम्परिक उराँव समाज में विवाह'' विषय पर परिचर्चा हुई और निम्न लिखित तथ्य प्रकाश में आया :—

1. बेंज्जा = बिंज्जुर'उ + बिंज्जुर = बेंज्जा। बेंज्जा का अर्थ विवाह है। संस्कृत में विवाह का अर्थ विशिष्ट वहन है।

उराँव रूढ़ी—परम्परा नू बेंज्जा गही मईनता नेःत—नेःग एन्ने लेखआ रअ़ई —

(उराँव रूढ़ी—परम्परा में विवाह के आवष्यक नेगचार)

a. ख़ेड्ड अम्म झोकना अरा किचरी बांःजना। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सहमति (मन मंजुर) का द्योतक। Conventional marriage rituals for concent by Person & Family.

b. कोहाँ पाःही (बड़ी जोःड़ोरना अरा डली फड़ियारना)। कुकोय तरा। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society.

c. कोहाँ पाःही (बड़ी जोःड़ोरना)। कुक्कोस तरा। पारिवारिक एवं सामाजिक सहमति का द्योतक। Essential's of marriage & confirmation by the Family & Society.

d. मड़वा गड़ना अरा कँड़सा चोअ़ना। Essential's of Marriage.

e. सगुन ओन्दोरना अरा अउपटन ख़सरना (बाःलका, नगड़ा ख़ज्ज, आबदा तीख़िल, इसुंग, सिन्दरी, दुब्बा घाँःसी, सखुवा कडिरका बदलेन)। Essential's of marriage.

f. बरात पईरघाअ़ना (बरात अँड़सना अरा मेरघेराई)। Conventional rituals of marriage. Rituals of confirmation by the society.

g. पगसी पिटरी ओकोरना, गुँड़ख़ी तिरख़िर्रना, पट्टा–सिंदरी टूड़तारना, सबहा सिन्दरी (सभा सिन्दरी) मनना। Essential's of marriage. Rituals of confirmation of marriage.

h. सँड़खी उरूखना/ढेलका पुजा। Rituals of confirmation of marriage and pay homage to God, incesters & diety. (देवत्व)।

उराँव पारम्परिक विवाह में मुख्य 7 (सात) नेग–अनुष्ठान में से Essential's of Rituals of marriage में उप क्रमांक b, d, e एवं g आवश्यक है। Concent (कन्या की सहमति) की आवश्यकता के लिए क्रमांक 1a, 1b तथा 1e अनुष्ठान द्योतक है। बेंज्जा का सभी नेग अनुष्ठान गांव के परम्पारिक पुजारी अर्थात पहान द्वारा अथवा गांव के जानकार शादीशुदा व्यक्ति या महिलाएँ (जिनके पति–पत्नी जीवित हों) के द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। विधवा/विधुर द्वारा शादी अनुष्ठान नहीं कराया जाता है।

2. कानून में विवाह के प्रकार/Types of marriage as per Court of Law -

(i) Contractual (समझौता) – उरांव में मेहर या फिर गोलोंग जैसा रिवाज नहीं है।

(ii) Sacramental (संस्कारिक) – पूजा अनुष्ठान मड़वा में तथा बेंज्जा के अंत में है।

(iii) Mixed – समाज में विधवा विवाह, विधुर विवाह, विवाह विच्छेद विवाह की मान्यता है तथा विवाह में पूजा अनुष्ठान भी होता है। इसलिए पारम्परिक उराँव समाज का बेंज्जा Mixed type है।

3. कानून में विवाह हेतु उम्र सीमा/Age of marriage as per Court of Law -

(i) उराँव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है।

(ii) 12 बछरे बईनी सिंगार, बईनी जिया पेल्लो मंज्ज बरचा।
माघे चन्नदो उल्ला धर्रका, बईनी जिया पेल्लो एड़पा कोरोतआ।
साये चान करम उबुस्त'आ, करम डउड़न अमके किरितआ।
समा नना बईनी तम्बायो, बेंज्जा चन्नदो पुँईद'आ लगी।।

4. कुडुख़ में, विवाह विच्छेद (तलाक) की प्रक्रिया भी विशिष्ट है। उराँव समाज में मान्यता है कि परम्परागत सामाजिक बेंज्जा एक सामाजिक विधान है। इसलिए जो विवाह विच्छेद करता है वह सामाजिक विधान को भंग करता है और सामाजिक

विधान को भंग करने वाले से सामाज द्वारा बिहउड़ी तय किया जाता है। जिसके तहत उन दोनों परिवार (वर–वधु के परिवार) को सामाजिक जुर्माना (बिहउड़ी जईरबना) तथा कुटुम्ब भोज देना पड़ता है।

5. कुड़ुख़ बेंज्जा नु कुकोय तरतर बेंज्जा मंज्जका ख़ोःखा तंगदन बिदा ननो बाःरी – पाःकर की कुक्कोस गही खोंदहा तरतर गे जिमा चिअ़नर अरा कुक्कोस गही एड़पा–पल्ली तरतर कुकोय तरतर ही चिच्चका जिमन झोकनर दरा तमहँय एड़पा–पल्ली तरा ओन्दोरनर। अउला तिम कुकोय तंगहय बेंजेरका एड़पा अरा आ पद्दा ता मनी काःली। ईन्नलता बेड़ा नू हूँ सिसई–गुमला पहईट नू पुना ख़ेड़ो गही नाःमे ती पयसरी नेःग मनी। ई नेःग नू पुना ख़ेड़ो अरा पद्दा ता देंव अरा पचबल पुरखर संग्गे चिनहाँ परचा ननतार'ई। इदी गे पद्दा ता नैगस रंगुवा ख़ेःरन चराबअ़दस की बेगर एड़बम अम्बदस चिअ़दस।

6. विवाह विच्छेद (तलाक), एक सामाजिक विधान के अन्तर्गत है, अतएव यदि कोई विवाह विच्छेद करता है तो षिकायत होने पर समाज द्वारा बिहउड़ी जईरबना (सामाजिक जुर्माना) भरवाया जाता है और तब, बेंज्जा बिहोड़ (तलाक) समझा जाता है। बिहउड़ी = बिंज्जुर गही हउड़ी। हउड़ाअ़ना = ढूँढ़ना, कारण तक पहूँचना। इस तरह बिहउड़ी = विवाह टूटने के कारण तक पहूँचना और सामाजिक जुर्माना करना। बेंज्जा बिहोड़ के लिए एक कठिन सामाजिक पंचायत के दौर से गुजरना पड़ता है।

7. कुँड़ुख़ बेंज्जा में ख़ेड्ड अम्म झोकना/चिअ़ना अरा किचरी बांःजना नेःत–नेःग से आरंभ होता है। बांःजना का अर्थ अंगरेजी में to cover, to arrange in a discipline way for safeguard and good objectives की तरह है। इस तरह जब सामाजिक अनुशासन में रहने के लिए परिवार सहमत होने पर ही समाज के लोग बेंज्जा करवाते हैं। और जब सामाजिक अनुशासन को किसी पक्ष के द्वारा तोड़ा जाता हैं तो शिकायत प्रमाणित होने पर सामाजिक जुर्माना भरवाया जाता है। यही, बिंज्जुर गही हउड़ी अर्थात बिहउड़ी है। बअ़नर बन्दा बांःजी, अन्नेम कुक्को–कुकोयर संग्गे नु बांःजरनर। बांःजरआ गे बेंज्जा। कुँड़ुख़ बेंज्जा में पाँःती ओक्कना नेःग, वर–वधु द्वारा जुआठ में साथ बैठकर सहमति जताया जाता है।

बिहउड़ी – बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी। उराँव रूढ़ी–परम्परा नू बिहउड़ी गही मईनता नेःत–नेःग – उराँव रूढ़ी–परम्परा में शादी के आवश्यक विधान :–

(i) बेंजेरका पद्दा मजही पंच्च पिटरी उक्की अरा फरीफटी मनी, अन्तिले पंच्च पिटरी चउदआ (उठाने के लिए) खतरी पंच्च ढिबा लग्गी। वर–वधु गांव वाले। बैठक - I

(ii) बेंजेरका पद्दा नू पंच्चोरा मझी कत्था मल फड़ियारका ती ओन्द पड़हा मझी मलता सन्नी पड़हा मझी पिटरी ओक्कना मनी। पंच्च ढिबा लग्गी। बैठक - II

(iii) सन्नी पड़हा ही पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती कोगहा पड़हा (दो या दो से अधिक पड़हा) मझी पिटरी ओक्कना मनी। असन हूं पंच्च ढिबा लग्गी। बैठक - III. (तीनों बैसकी नु दुयो तरा गे नोटिस काःलो।)

कोगहा पड़हा पिटरी ओकोरना नू हूँ मल फड़ियारका ती न्यायालय नू मला होले बिसुसेंदरा नू नालिस नना काःला ओंग्गनर। असन आ अड्डा ता लेखे, कोर्ट फीस बेसे ढिबा लग्गो। उराँव पारम्परिक बिहउड़ी जईबना या विवाह विच्छेद के लिए क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) वाला बैठक आवश्यक होगा। उच्च न्यायालय रांची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा में कहा गया है कि आदिवासी मामले में उनके परम्परागत सामाजिक तरीके के फैसले के आधार पर न्याय किया जाय।

8. परम्परागत उराँव समाज में बेंज्जा के प्रकार :– बांजरना गे इंजिरना, विवाह। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा। बांजरना के लिए उरांव समाज में बेंज्जा (विवाह) के प्रकार –

(i) मड़वा बेंज्जा। परम्पारिक विवाह। इसमें मड़वा गड़ाता है, कँड़सा उठता है, ढाँक बजता है, पगसी–पट्टा सिंदरी, तथा सभा सिंदरी होता है। यहाँ जुआठ में लड़की, बिना किसी पूर्वाग्रह के लड़का के बायें बैठती है, जो सहमति का प्रतीक है।

(ii) अतख़ा–पण्डी बेंज्जा। एका–एका बारी बेंज्जा एड़पा नु इनदिर'इम अलहन मंज्जका ती कुकोयन, कुक्कोस गही एड़पा अँड़सतअ़ना मनी। अनने बेंज्जा नु कुक्कोस तरती बरात मल काःली। कुकोयन, कुक्को गही एड़पा नुम बेंज्जा ननर।

(iii) संगहा (सगई) बेंज्जा। लड़की का पहले बेंज्जा हुआ रहे तो दूसरी बार उसका संगहा बेंज्जा होता है। यदि लड़का कुँवारा हो तो बरात आता है, ढोल बजता है, परन्तु लड़का को पहले फूल से विवाह किया जाता है। और यदि लड़का भी पूर्व में विवाह किया हो तो संगहा बेंज्जा होता है। संगहा बेंज्जा में मड़वा नहीं गड़ाता, ढाँक नहीं बजता, पगसी–पट्टा सिंदरी नहीं होता। जोंःख़स, कुकोयन सिंदरी टूड़दस, अदि ख़ोःख़ा सबहा सिंदरी मनी।

(iv) खोहाड़ी बेंज्जा। खोहाड़ी बेंज्जा अर्थात घर से बाहर या समाज से बाहर अथवा गैरजातीय बेंज्जा उरांव समाज में मान्यता नहीं है। यदि लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करे या करना चाहें तो उनके माता–पिता या परिवार वाले गांव–समाज के बाहर विवाह कर दें। ऐसी स्थिति में समाज द्वारा मड़वा बेंज्जा नहीं किया जाता है। वर्जना के बाद भी कोई लड़का या लड़की गैरजातीय विवाह करता है तो उनके माता–पिता को सामाजिक दण्ड तथा कुटुम्ब भोज कराना पड़ता है।

उरांव समाज में आदमी के अतिरिक्त पालतु मवेशी के लिए भी कई विधान बने हुए थे। यदि कोई पालतु पशु बिना संवेदक के अथवा मउवार (मालिक) के किसी व्यक्ति का फसल को नुकसान करता है, तो फसल मालिक, उस मवेशी को अपने क्षेत्र में अवस्थित खोहाड़ में पहुंचा दिया करता था। फिर जब उस मवेशी का मउवार खोजते हुए खोहाड़ पहूंचता था, तब मउवार द्वारा नुकसान फसल की भरपाई कर खोहाड़ से मुक्त कराया जाता था। ज्ञात हो कि परम्परागत उरांव समाज में गैर जातीय विवाह वर्जित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई विवाह करता है तो सामाजिक दण्ड का भागी बनना पड़ता है तथा गैर पारम्परिक विवाह की जिम्मेवार समाज को नहीं माना गया है।

(v) Special Marriage Act बेंज्जा। यह सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

9. डली फड़ियाअ़ना – बेंज्जा चिआ गे डँड़ियाअ़ना। डली झोकना = बेंज्जा मंज्जकन इंजिरना अरा डँड़ियाचकन झोकना। डली किरताअ़ना = बेंज्जा बिहोड़ मना गे डँड़ियाचकन झोकोचकन किरताअ़ना। नेःग डलीढिबा, वधु मुल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या Bride Price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और नेःग डलीढिबा (अनुष्ठान संपन्न करने में व्यवहारित रकम) तय होता है। यह Ceremonial Gift अथवा वैवाहिक उपहार है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथा है। यह दोनों पक्षों के पंचों द्वारा तय होता है।

10. मयसरी – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँड़ुख़ भाषा के अनुसार उचित नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

11. बेंज्जा बिहोड़ – बेंज्जा बिहउड़ी मंज्जका अरा डली किरताचका (विवाह संबंध को त्यागने की प्रक्रिया किया जाना) = विवाह विच्छेद (तलाक)। बेंज्जा एक सामाजिक संस्कार है तथा कुँड़ुख़ जीवन–जोड़ी में मड़वा बेंज्जा एक बार होता है। यदि वर–वधु दोनों कुँवारे हो या वर–वधु में से लड़की कुँवारी हो तो मड़वा बेंज्जा होता है। और यदि वर–वधु दोनों की पहले षादी हुई हो तो संगहा बेंज्जा होता है। परन्तु यदि लड़की की शादी पहले हो चुकी हो तथा लड़का कुँवारा हो तो लड़का को पहले फूल षादी करने के बाद बेंज्जा नेग होता है। परम्परागत उराँव समाज में विवाह विच्छेद करने को

सामाजिक अपराध की तरह समझा गया है, जिसके लिए बिहउड़ी तथा डली किरताअ़ना के रूप में सामाजिक जुर्माना देना पड़ता है।

बेंज्जा बिहोड़ के कारण :– (क) नन्ना मे:त / मुक्का धरना। (ख) जहड़ी मे:त / मुक्का (क्रूर पति या पत्नी) (ग) मे:त / मुक्का संग्गे मल रअ़ना (2 साल तक यदि अलग रह रहे हों तो) (घ) प्रथागत धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में जाना (ङ) नामर्दी / बांझपन (च) पति या पत्नी का पागलपन (छ) ठगुवा बेंज्जा (रोग छिपाकर शादी तथा धोखाधड़ी कर षादी करना) (ज) पति / पत्नी की मृत्यु अथवा 7 साल तक जीवित होने का प्रमाण न मिलने पर।

12. कोंयछंदा ख़द्द – गोद लिया हुआ बच्चा। कोंयछा (माँ के आंचल की थैला) + छंदा (छांदा हुआ)।

कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा) अपनाने का कारण :– 1. पति / पत्नी का जब कोई अपना बच्चा न हो या सिर्फ बेटा या बेटी हो। 2. पारिवारिक संपत्ति का देखरेख करनेवाला न रहने पर बच्चा गोद लिया जाता रहा है।

किसे गोद लिया जाता है – 1. परिवार के किसी रिस्तेदार के बच्चे को। 2. किसी अपने कुटुम्ब अथवा गोत्र–वषं के बच्चे को।

3. गैर जाति आथवा दूसरे जाति–वंश के बच्चे को गोद लेने के लिए रूढ़ीगत उराँव समाज में वर्जित है।

बैठक के अंतिम दिन दिनांक 22.05.2022 दिन रविवार को 1 से 4 बजे अपराह्न में विशिष्ट अतिथियों तथा समाजसेवियों के बीच खुला अधिवेशन में निम्नांकित घोषणाएँ हुईं –

1. बिसुसेन्दरा 2019 तथा बिसुसेन्दरा 2020 में स्वीकृत एवं अनुमोदित अभिलेख पर दिनांक 09 फरवरी 2021 को डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची में समीक्षा कर कंडिका 11, 12 एवं 13 को यथावत स्वीकार किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को आवश्यक क्रियार्थ समर्पित किया गया है।
2. बिसुसेन्दरा 2019 तथा बिसुसेन्दरा 2020 में स्वीकृत एवं अनुमोदित अभिलेख, बिसुसेन्दरा 2021 में पुनः सर्व सहमति से स्वीकृत एवं अनुमोदित किया गया, जिसे बिसुसेन्दरा 2022 में फिर से आवश्यक संशोधन के साथ पारित एवं अनुमोदित किया गया एक अभिलेख है।
3. दिनांक 21.05.2022 दिन शनिवार को तथा दिनांक 22.05.2022 दिन रविवार को दोपहर 12.बजे तक संकलित उपरोक्त प्रस्ताव क्रमांक 01 से 12 तक को सर्व सहमति से पारित एवं स्वीकृत किया गया।
4. सामाजिक स्तर पर पड़हा–धुमकुड़िया को फिर से पुनर्गठित एवं विकसित किया करें।
5. कुँड़ुख़ (उराँव) तोलोंग सिकि (लिपि) को पठन–पाठन एवं दैनिक जीवन में व्यवहार करें।
6. माननीय हाईकोर्ट, झारखण्ड, राँची द्वारा First Appeal No 124 of 2018 श्री बग्गा तिर्की बनाम श्रीमती पिंकी लिण्डा के मामले में परिवार न्यायालय, राँची को दिये गये निर्देश पर बिसुसेन्दरा में सहमति प्रकट की गई। इस आदेश में कहा गया है कि परिवार न्यायालय, संबंधित मामले में उनके Customary Divorce के तरीके से देखे और निपटारा करे।

दशरथ टाना भगत	मटकु उराँव	गजेन्द्र उराँव
(श्री दशरथ टाना भगत)	(श्री मटकु उराँव)	(श्री गजेन्द्र उराँव)
22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल	22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान	22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

22 पड़हा परम्परागत ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2022 सम्मेलन

बिसुसेन्दरा स्थल :– ग्राम : अताकोरा गडरीटोली, थाना : भरनो, जिला : गुमला, पिनकोड – 835203

22 पड़हा सामाजिक ग्रामसभा बिसुसेन्दरा के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम एवं ग्राम सभा की सूची –

1. 9 पड़हा करकरी–अताकोरा

(क) करकरी (बेल पद्दा/राजा गांव)
(ख) अताकोरा (देवान पद्दा/मंत्री गांव)
(ग) सैन्दा (कोटवार पद्दा/संयोजक गांव)
(घ) बुड़का
(ङ) मंगलो
(च) सियांग
(छ) बघनी
(ज) लंगटा पबेया
(झ) पंडरानी

2. 7 पड़हा चैगरी–षिनाथपुर

(क) चैगरी (बेल पद्दा/राजा गांव)
(ख) शिवनाथपुर (देवान पद्दा/मंत्री गांव)
(ग) लावागंई (कोटवार पद्दा/संयोजक गांव)
(घ) कोड़ेदाग
(ङ) कुरगी
(च) सेमरा
(छ) खेर्रा

3. 6 (5) पड़हा मयहदेव चैगरी–मोरगांव

(क) महयदेव चैगरी (बेल पद्दा/राजा गांव)
(ख) मोरगांव (देवान पद्दा/मंत्री गांव)
(ग) मलगो (कोटवार पद्दा/संयोजक गांव)
(घ) मकरा
(ङ) बटकोरी
(च) लोंगा

(श्री दशरथ टाना भगत)
22 पड़हा बिसुसेन्दरा बेल

(श्री मटकु उराँव)
22 पड़हा बिसुसेन्दरा देवान

(श्री गजेन्द्र उराँव)
22 पड़हा बिसुसेन्दरा कोटवार

22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2020 का घोषणा पत्र

कैम्प कार्यालय :– धुमकुड़िया डिप्पा, ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला, पिन–835324

जैसा कि हम सभी जानते हैं – भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व, भारत में बहुत से राष्ट्र, प्रदेश एवं कबिलाई समूह स्वतंत्र रूप से गुजर–बसर कर रहे थे। देश की आजादी के पश्चात् नये जीवन की तरह भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और वे सभी पुराने दल एक झण्डे के नीचे आ गये। इस नव निर्माण के क्रम में लोगों के बीच अपने समाज एवं सम्प्रदाय के अनुसार हिन्दु पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह कानून आदि का गठन हुआ और वे उसी के अनुसार चल रहे हैं। भारतीय कबिलाई समूह क्षेत्र के लोगों के लिए भी 5 वीं एवं 6 वीं अनुसूचित क्षेत्र के नाम से विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में संविधान में स्थान दिया गया, जो कई अलग–अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। इसी 5 वीं अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उराँव (कुँड़ुख़) कबिलाई समूह, अनुसूचित जनजाति के नाम से देश के कई हिस्से में निवासरत है। हमारे उराँव (कुँड़ुख़) समूह की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा एवं विधान है। हमारी मातृभाषा की लिपि भी विकसित हो चुकी है। भारतीय कानून व्यवस्था में हमारे रीति–रिवाज, परम्परा, संस्कृति आदि को कस्टमरी लॉ या दस्तूर कानून के नाम से जाना जाता है। हमारे समूह की परंपरागत सामाजिक एवं वैधानिक संगठन का नाम पड़हा है, जिसे 3, 5, 7, 9, 12, 21, 22 आदि गाँव के लोग परम्परानुसार गठन किये हुए थे। जब कभी किसी मामले का फैसला पड़हा में नहीं हो पाता था, तब कई पड़हा मिलकर आयोजित बिसु सेन्दरा में मामले का निपटारा किया जाता था, जहाँ के फैसले को अंतिम माना जाता था।

उपरोक्त परम्पारिक व्यवस्था को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के उदेष्य से भारतीय संसद द्वारा पारित पेसा कानून 1996, (PESA 1996) के धारा 4 (घ) के आलोक में दिनांक 04 एवं 05 मई 2019 को ग्राम सभा जिसके अन्तर्गत 22 ग्राम सभा (22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा 2019), स्थान : टाना बगिचा, लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में दो दिवसीय सम्मेलन कर, विधि विषेशज्ञों से समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया और 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा महाधिवेशन 2019, कार्यकारिणी समिति के बेल (राजा) : श्री दशरथ टाना भगत, देवान (मंत्री) : श्री गजेन्द्र उराँव तथा भँड़ारी (भंडारी) : श्री मटकु उराँव के संयुक्त हस्ताक्षर से जनसूचना एवं अनुपालन हेतु जारी किया गया। यह घोषणा पत्र वर्ष 2011 से 2019 तक लगातार किये गये बिसुसेन्दरा की कार्यवाही के फलस्वरूप तय हुआ है, जो इस प्रकार है :–

1. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज अपने घर–परिवार में जन्म से लेकर मष्त्यु तक कुँड़ुख़ नेगचार एवं पर्व त्योहार को षुद्धता एवं श्रद्धा के साथ मनाएँ। साथ ही कुँड़ुख़ समाज के सभी, अपने पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा, पड़हा एवं धुमकुड़िया को परम्परागत तरीके से पुनर्गठित एवं संगठित करें। साथ ही अखड़ा, चाःलामड़ा तथा देबीमड़ा को सुरक्षित एवं संरक्षित करें।

2. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वजातीय शादी की मान्यता है किन्तु स्वजाति में सगोत्रीय शादी वर्जित है। स्वजाति सगोत्रीय एवं विजातीय शादी को परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, वर्जित करता है। एक गोत्र के लोगों में भाई–बहन का रिश्ता माना गया है। सामाजिक परम्परा के विरूद्ध की गयी शादी निंदनीय एवं दण्डनीय है।

3. कुँड़ुख़ समाज पुरूष वंश परम्परा पर आधारित है। अतएव वर्जना के बाद भी यदि कोई पुरूष विजातीय शादी या ढुकू को बढ़ावा देता है तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। अतएव परम्परानुसार वह सामाजिक दण्ड का भागी होगा और

समाज में मिलने–मिलाने के लिए वर–वधु का सामाजिक शुद्धिकरण तथा सामाजिक शादी नेगचार आवश्यक होगा। सामाजिक दण्ड के रूप में 5100/(पांच हजार एक सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा।

4. कुँड़ुख़ समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई महिला विजातीय शादी को बढ़ावा देती है तो वह गाँव एवं समाज को छोड़कर अपने चुने हुए पति के साथ चली जाय। इस कृत्य के लिये परम्परानुसार उसके माता–पिता या अभिभावक सामाजिक दण्ड के भागी होंगे तथा उस महिला को एवं उसके संतान को अपने मूल जाति समाज का सदस्य नहीं माना जाता है। उदाहरण – एक उराँव महिला तथा एक गैर उराँव पुरूष से उत्पन्न संतान को उराँव जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। सामाजिक दण्ड के रूप में लड़की के पिता को 2500/(दो हजार पाँच सौ) रूपया एवं पड़हा भोज करना होगा। रूढ़ी व्यवस्था के अंतर्गत जाति–बाहर लोग परम्परागत समाज का नियम तथा रूढ़ीप्रथा सामाजिक सम्पति नियम कायदा से मुक्त एवं बाहर हो जाते हैं।

   एक आदिवासी लड़की अपने परिवार, समाज और कबिला के वर्जना के बाद भी यदि दूसरे समाज के लड़के के साथ षादी रचाती है तो वह परिवार, समाज और कबिला छोड़कर चले जाय और यदि वह दूसरे समाज में चली जाती है तो वह सामाजिक रिश्ता और अधिकार छोड़कर जाती है। वैसे में एक आदिवासी बनकर जमीन खरीदना आदिवासी रूढ़ी–प्रथा समाज के खिलाफ है। संसद द्वारा पारित PESA कानून आदिवासी सामाजिक रूढ़ी–प्रथा पर न्याय करे। आदिवासी सामाजिक रूढ़ी–प्रथा के अनुसार जमीन खरीद के लिए आदिवासी पिता और आदिवासी पति होना आवश्यक है।

5. विश्व में 50 से अधिक देशों में प्राचीन आदिवासी धर्म को कबिलाई धर्म के नाम से मान्यता दी गई है किन्तु अपने ही देष में हमें, धार्मिक पहचान नहीं मिली है, यह हम आदिवासियों के लिये विडम्बना की बात है। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के लोग अपने परम्पारिक विश्वास–धर्म को आदि धरम/सरना धरम के नाम से जानते हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार इसे संवैधानिक मान्यता दे।

6. परम्परागत आदिवासी समाज में जमीन को परिवार के भरण–पोषण का आधार माना गया है, जिसके चलते यह वंशानुगत सम्पति है और सामाजिक व्यवस्था में एक वषं से अन्य वषं में हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। इस परम्परा के अनुसार समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के घर तथा शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पति में स्वाभाविक उपभोग की भागीदार माना गया है, किन्तु पुस्तैनी जमीन को बेचना महिला के लिए वर्जित है। एक वयस्क लड़की या महिला को अपना जीवन साथी चुनने तथा साथ रहने का हक है, जिसमें समाज के अन्दर जीवन साथी का चुनाव करने पर, परिवार की सहमति या असहमति की वाध्यता शिथिल किया गया है। लड़की या महिला की यह सामाजिक आजादी के चलते, वंषानुगत पारिवारिक अचल संपत्ति को हस्तान्तरण से रोकने तथा बचाने के लिए पुस्तैनी जमीन को महिला द्वारा बेचना वर्जित है। सी.एन.टी. में भी दर्ज है कि भूईहरी एवं कोड़कर खेत, सिर्फ खेवटदारों के बीच उपयोग किया जा सकता है।

7. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में षादी के समय बेंज्जा किचरी में हल्दी लगा हुआ लाल पाड़ साड़ी तथा लड़का के लिए हल्दी लगा हुआ धोती अनिवार्य होगा।

8. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में शादी के अवसर पर सिर्फ नेग हड़िया का व्यवहार होगा।

9. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के शादी नेग में कुल लेन–देन 1101 रू. के अन्दर होगा।

10. परम्परागत पड़हा समाज के शादी–व्याह के अवसर पर परपरागत बाजा का रिवाज है। डिस्को बाजा या बैंड बाजा को पड़हा समाज वर्जित करता है। उलंघन करने पर 5000/(पांच हजार) रूपया जुर्माना देना होगा।

11. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में, जैसे – (1) पहली पत्नी की मृत्यु होने पर। (2) पहली पत्नी के पागल होने पर। (3) पहली पत्नी के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले जाने पर। (4) पहली पत्नी के बदचलन साबित होने पर। (5) पहली पत्नी से वंश न चल पाने पर (अर्थात बांझपन की स्थिति में), पति–पत्नी के रजामंदी से परिवार की खुशी के लिए समाज में, सगई नेग द्वारा समाज में दूसरी पत्नी लाने का प्रथा है। सगई नेग में सिर्फ सभा सिंदरी नेग होता है, पगसी में बैठना तथा पट्टा में चढ़ना नेग नहीं होता है। एक लड़के द्वारा पहली पत्नी के रहते जबरन दूसरी औरत लाये तो समाज भितर करने में सिर्फ सभा सिंदरी किया जाता है।

(नोट :– कई बार पहली पत्नी से बच्चा नहीं होने की स्थिति में पहली पत्नी अपने घर–परिवार की खुशी के लिए अपने पति से कहती है – एःन निंग्गा गे अउर ओण्टा कनियाँ बेद्दा चिआ लगेन, मुन्दा एंग्गन अमके अम्मबा, नाम ओरमत संग्गेम रओत। रूढ़ीगत आदिवासी समाज में खेत, खेती और आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज का एक व्यक्ति अपने तथा परिवार के लिए जंगल साफ कर नया खेत बनाता है या फिर अपने खेत में नया पेड़ लगाता है यह सोचकर कि उनके बाल–बच्चों के लिए समय पर काम आवे। बांझपन का मापदण्ड या परिभाषा, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मान्य होगा। परम्परागत शादी तथा परम्परागत सगई दोनों मान्य है। परम्परागत शादी में लड़का–लड़की को पगसी (जुआठ) में बैठाया जाता है और पट्टा में चढ़ाकर सिंदरी टिप्पा करवाया जाता है, सगई नेग में पट्टा में चढ़ाकर ओर पगसी में बैठाने वाला नेग नहीं होता है, सिर्फ सभा सिंदरी होता है। इसलिए सामाजिक मान्यतानुसार की गई षादी के बाद उत्पन्न बच्चे के लिए समाज, उसके पिता की सम्पति का हिस्सेदार बनाती हैं। सामाजिक शादी के बाद खाषकर पासपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड मैरेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में स्पेशल मैरेज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा।)

12. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज, एक शादी की अनुमति देता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक महिला, जैसे – (1) पहले पति के मृत्यु होने पर। (2) पहले पति के पागल होने पर। (3) पहले पति के नामर्द रहने पर। (4) पति द्वारा पहली पत्नी के रजामंदी में बिना दूसरी औरत लाने पर – शादीशुदा महिला, अपने व्यक्तिगत हित में पहले पति को छोड़कर चली जाया करती है या कहीं–कहीं अपने परिवार की खुशी बनाये रखने में मदद करने में बढ़चढ़ कर हिस्सेदार बनती है। एक महिला को पूरी आजादी है कि वह पति के घर रहे या पति को छोड़कर जाय।

नोट :– सिक्किम राज्य के कई आदिवासी समूह में महिला को तलाक लेने का हक नहीं है। यह उद्धरण एक अंगरेजी पत्रिका में छपे खबर के अनुसार है।

13. पति–पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन–देन किया जाना आवश्यक है। पुत्र/पुत्री के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होगी। यदि बच्चा 5 साल से कम हो तो वह माँ के साथ रह सकेगा या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ–बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का

साधन) व्यवस्था करना होगा। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं होगा। पति–पत्नी के बीच संबंध नहीं होने का समय सीमा कम से कम 2 वर्ष होने के बाद ही बिहउड़ी के लिए अरजी मान्य होगा। खोरपोस दावा के लिए कंडिका 12 (4), महिला को बाधित नहीं करेगी।

नोटः आजकल लोग पति–पत्नी के बीच संबंध विच्छेद (तलाक) के लिए आदिवासी परिवार के सदस्य भी कोर्ट से मदद लेने जाते हैं, पर कोर्ट या फॅामिली कोर्ट, आदिवासी मामलों में तलाक मुद्दे पर आदिवासियों का सामाजिक मामला कहकर दखल नहीं देता है। इसलिए आदिवासियों को सामाजिक नियमों को पालन करना होगा। परम्परागत आदिवासी समाज में हिन्दु विवाह कानून लागू नहीं लागू है। भारतीय इसाई विवाह कानून भारतीय ईसाईयों में तथा मुस्लिम पर्सलन लॉ, मुस्लिमो में लागू है। खासकर ईसाई लोग कैनन लॉ अथवा चर्च लॉ एवं भारतीय ईसाई विवाह कानून से संचालित होते हैं।

14. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज की रूढ़ीवादी परम्परा, विश्वास–धर्म ही हमारी धरोहर है। इसलिए परम्परागत कुँड़ुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई शादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पति (पुस्तैनी जमीन) में हिस्सेदारी देता है। इससे इतर किसी अन्य विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी के लिए परम्परागत समाज जवाबदेह नहीं है।

15. अपनी परम्परागत भाषा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए हिन्दी एवं अंगरेजी के साथ कुँड़ुख़ भाषा की पढ़ाई की भी करनी है। इसके लिए हम राज्य सरकार से मदद लेंगे।

16. कुँड़ुख़ भाषा (तोलोंग सिकि के साथ) को संविधान की 8वीं अनुसूची में षामिल करवाया जाय। इसके लिए एक कमिटी गठित कर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया जाय।

17. पड़हा कार्यकारिणी की सहमति से अपने–अपने क्षेत्र के विधायक एवं सांसद अपना प्रतिनिधित्व पड़हा सम्मेलन में भेजना सुनिश्चित किया करेंगे।

18. जनजातीय जनहित में राज्यक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी एवं जन–जागृति के लिये पड़हा सम्मेलन या बिसु सम्मेलन में कार्यकारिणी के आमंत्रण पर उपायुक्त/जिलाधिकारी अपना प्रतिनिधि/प्रतिनिधि मंडल भेजना सुनिश्चित करेंगे।

19. अपनी रूढ़ीवादी परम्परा के साथ नई तकनीक को अपनाते हुए कुँड़ुख़ भाषा की लिपि तोलोंग सिकि को अपनाना है तथा इसे पढ़ाई–लिखाई में भी अनिवार्य रूप से शामिल करना है। झारखण्ड सरकार में हिन्दी, अंगरेजी तथा कुँड़ुख़ (त्रिभाषा पढ़ाई) नियम लागू है।

20. परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पड़हा, धुमकुड़िया एवं अखड़ा को पुनर्जीवित कर इसे वर्तमान प्रशासनिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गाँव–समाज में झगड़ा–झंझट का निपटारा स्थानीय तरीके से एवं कानून संम्मत होगा। दोसी व्यक्ति को पंच द्वारा निर्धारित विधि सम्मत जुर्माना भी देना होगा।

21. पड़हा के अन्तर्गत 10 से 15 गाँव के लोग आपसी सामाजिक सहमति से एक मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय चलाएँ। इसके लिए प्रत्येक परिवार से पड़हा के नाम पर 1 (एक) सूप धान तथा धुमकुड़िया के नाम पर साप्ताहिक मुठा चावल

जमा करेंगे। आमद–खर्चा का हिसाब रखने में अद्दी कुँड़ुख़ चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा नामक संस्था (निबंधन संख्या 105/2013–14, झारखण्ड) या समय–काल के अनुसार निर्धारित संस्था से मदद ली जाएगी।

22. झारखण्ड में स्थानीय लोगों के हित में स्थानीय नियोजन नीति बने और शीघ्र लागू हो तथा जिलावार नौकरी एवं ठेकेदारी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाय।

23. परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी भाई–बहन अपने मुख्य नाम के बाद जातीय नाम उराँव जोड़ें। गोत्र एवं गोत्र चिन्ह की पवित्रता बनाये रखें तथा समाज–परिवार के धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धा पूर्वक में भाग लें।

24. कुँड़ुख़ समाज अपने पारम्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई पति–पत्नी अपने वंश–परिवार में आपसी रजामंदी के बाद अपने वंश–परिवार के बच्चे को गोद लेकर माय–बाप (माता–पिता) बन सकता है और स्वंय द्वारा अर्जित धन को उस बच्चे को दे सकता है। वर्तमान स्थिति में इस पर कोर्ट में राजीनामा करना होगा। वैसे समाज में बेटी दामाद को घरदमाद रखने का रिवाज है, या पोस बाप या पोस बेटा तय कर अपनी कमाई की संपति में दिये जाने की भी मान्यता है। पर, वंश में चले आ रहे पुस्तैनी जमीन, जैसे – कोड़कर, खुटकटी तथा भूईंहरी को नहीं दिया जाता है। ''हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 – सिर्फ हिन्दु परिवार के सदस्यों में लागू है। ईसाई एवं मुसलमान परिवार में यह नियम लागू नहीं होता है।

25. कुँड़ुख़ समाज परम्परागत तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए 22 पड़हा बिसु सेन्दरा क्षेत्र में तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेगा। इसके लिए सरकार से मदद ली जाएगी।

26. कैडेस्टल सर्वे (1908 ई0 का खतियान) का 106 वाँ वर्ष पूरा हो गया। तब से अब तक, एक लम्बा समय अंतराल हो चुका है। समाज एवं समय की स्थिति के अनुसार पड़हा–पंच एवं ग्रामसभा एक साथ मिलकर कैडेस्टल सर्वे के आधार पर खतियानी वारिसों का कुर्सीनामा, खेवट से जोड़कर तैयार करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार से भी मदद लेगी। यह कार्य आनेवाली पीढ़ी के लिए सद्भावना और शांति का रास्ता बनाएगा।

27. सम्मेलन में पारित नियम का अनुपालन, प्रत्येक गाँव में परम्पारिक तरीके से चले आ रहे पद्दा पचोरा (ग्राम सभा) के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी कार्यकारिणी समिति में गाँव का – 1) पहान 2) पुजार 3) महतो (भुँईहर महतो) 4) जेठ रईयत (जेट्ठा भुँईहर) एवं 5) गौंरो पारम्परिक रूप से पदधारी होंगे तथा 7 (सात) मनोनित सदस्य होंगे, जिसमें 3 (तीन) महिलाएँ भी होंगी। बैठक में परम्परागत कुँड़ुख़ समाज के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। कार्यकारिणी समिति का चुनाव परम्परागत रूप से 3 (तीन) वर्ष में होगा। पहनई बदली होने पर ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति भी बदल जाएगी। ग्राम सभा (पद्दा पंच्चा) द्वारा, नये कार्यकारिणी समिति के गठन की सूचना अपने–अपने क्षेत्र के उपायुक्त को आवश्यक रूप से देना होगा। ग्राम सभा (पद्दा सभा) के कार्यकारिणी समिति के चुनाव में विवाद होने पर आध्यात्मिक विधि द्वारा अर्थात पाय रेंगवाना अनुश्ठान विधि के चयनित प्रतिनिधि को अंतिम माना जाएगा। सभा का संचालन – 'नैगस पद्दा कमदस अरा महतोस पद्दन चलाबअ़दस' अर्थात ''पहान गाँव बनायला (सभापति) और महतो गाँव चलाएला (मंत्री)'' वाली मान्यता एवं कहावत के अनुसार होगा।

28. पद्दा पंच्चा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने पर, पड़हा स्तर पर विवाद को सुलझाया जाएगा और पड़हा स्तर पर विवाद नहीं सुलझने ही स्थिति में मामले के अनुसार वह मामला बिसु सेन्दरा में विचार किया जाएगा। जहाँ

अर्थात बिसु सेन्दरा में परम्पारिक रूप से गठित पदाधिकारियों जैसे – पडहा बेल, पड़हा देवान, पड़हा कोटवार आदि के द्वारा निर्णय किया जाएगा। यहाँ भी यदि किसी मामले का निर्णय नहीं हो पाने की स्थिति में ही न्यायालय में मामला जाएगा। पड़हा एवं बिसु सेन्दरा, सामाजिक न्याय प्रणाली की क्रमवार उच्चतर तथा उच्चतम व्यवस्था है। इसके पदाधिकारी पारम्परिक रूप से चुने जाते हैं। पड़हा की कार्यकारिणी समिति में पारम्परिक पड़हा बेल, देवान आदि होते हैं।

(नोट :– रूढ़ी परम्परा के अन्तर्गत, सामाजिक न्याय प्रणाली में यह व्यवस्था समाज की भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक कमजोर एवं बुजूर्ग आदिवासी परिवार का सदस्य भी यदि इस सामाजिक प्रणाली में भागीदार और मददगार होता है। वर्तमान समय में यह पंचनामा की तरह लिखित होने से तीन सीढ़ी यानि पद्दा पंच्चा, पड़हा पंच्चा तथा बिसु सेन्दरा से गुजरने पर एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिल पाएगा। यदि कोई व्यक्ति, सामाजिक न्याय से संतुष्ट न हों तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिसु सेन्दरा, वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए यह तीन सीढ़ी वाली, सामाजिक न्याय प्रणाली में कम से कम 6 से 12 महीने का समय लग सकता। इस रूढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली को वर्तमान न्यायालय व्यवस्था को मान्यता दे तो सरकार तथा देष का समय और संसाधन के खर्चे में कमी होगी। वर्तमान प्रषासन एवं न्यायालय व्यवस्था को रूढ़ीगत सामाजिक न्याय प्रणाली के न्याय पर सहमति नहीं भी हो सकती है, वैसी स्थिति में न्यायालय, प्रस्तुत गवाह और साक्ष्य के आधार कर अपना न्याय सुनाये।)

22 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा 2019 में पारित विधि–विधान को, 22 पड़हा क्षेत्र के अन्तर्गत परम्परागत कुँडुख़ समाज के सभी गाँव वासियों को पालन करना होगा। इस विधि–विधान में आवष्यक संषोधन, आगामी 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा में ही किया जा सकेगा।

पड़हा बेल
22 प.ग्रा.स. बिसुसेन्दरा

पड़हा देवान
22 प.ग्रा.स. बिसुसेन्दरा

पड़हा भंडारी
22 प.ग्रा.स. बिसुसेन्दरा

xxx

पाईड़का डण्डी

गोहला–कुड्डी ननर, मनी–मघा चाँख़रा,
सयो मघन बंदा बांञ्जिया, रे,
सयो मनिन बंदा बांञ्जिया।

जूड़ी जोंःख़स संगे मघा तरा काःदर,
मघा बंदा निमन बांञ्जो, रे,
मनी बंदा निमन बांञ्जो।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा सम्मेलन 2019 में शामिल 22 पड़हा गांव

<u>बिसुसेन्दरा स्थल – ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड)</u>

22 पड़हा के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम एवं ग्राम सभा :

1. 9 पड़हा करकरी–अताकोरा
   - क) करकरी – राजा (बेल) गांव जलजु पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ख) अताकोरा – दीवान गांव सुरेश उराँव पाहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ग) सैन्दा – कोटवार गांव पाथो पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - घ) मंगलो – (ठेपा) [illegible] पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ङ) बुड़का – सुरेश पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - च) सियांग – [illegible] पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - छ) बघनी – [illegible] पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ज) लंगटा पबेया – सोहराई पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - झ) पंडरानी – जसिकु उराँव ग्राम सभा अध्यक्ष

2. 7 पड़हा चैगरी–शिबनाथपुर
   - क) चैगरी – राजा (बेल) गांव महादेव पहान (पाना भगत) ग्राम अध्यक्ष
   - ख) शिबनाथपुर – दीवान गांव मंगरो पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ग) लवागंई – कोटवार गांव सुखदेव उराँव अध्यक्ष
   - घ) कुरगी – बुधराम उराँव (पहान)
   - ङ) कोड़दाग – मटकु उराँव (पहान) अध्यक्ष
   - च) सेमरा – महावीर पहान (ग्राम सभा अध्यक्ष)
   - छ) खेर्रा – कन्धन पहान - ग्राम सभा अध्यक्ष

3. 5 (6) पड़हा महयदेव चैगरी–मोरगांव
   - क) महयदेव चैगरी – राजा (बेल) गांव बिरसा पहान ग्राम सभा अध्यक्ष
   - ख) मोरगांव – दीवान गांव [illegible] पहान
   - ग) मलगो – कोटवार गांव घुरती उराँव ,, ,, ,,
   - घ) मकरा – सोमरा उराँव
   - ङ) बटकोरी – मैना उराँव ग्राम सभा अध्यक्ष
   - च) लोंगा – बुधु पहान ग्राम सभा अध्यक्ष

दशरथ टाना भगत	गजेन्दर उराँव	मटकु उराँव
05-05-2019	05/05/19	05/05/2019
पड़हा बेल	पड़हा देवान	पड़हा भंडारी
22प0ग्रा0स0बिसुसेन्दरा	22प0ग्रा0स0बिसुसेन्दरा	22प0ग्रा0स0बिसुसेन्दरा

5

7. पारम्परिक पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा एवं विधि के जानकारों का सुझाव

दिनांक 31.05.2022, दिन मंगलवार को डॉ० नारायण उराँव, सैन्दा, सिसई (गुमला), अपने वकील मित्र श्री बिन्देश्वर साहू (वकालत परिसंघ, गुमला) के साथ पारम्परिक उराँव समाज के सामाजिक एवं वैधानिक समस्याओं के संबंध में विमर्श करने हेतु गुमला कचहरी (झारखण्ड) में विधि के जानकारों से मिले। डॉ० नारायण एवं विधि के जानकारों की बातें हुई। डॉ० नारायण ने सामाजिक मुद्दे पर बाचीत करते हुए कहा कि – पारम्परिक एवं रूढ़ीगत व्यवस्था के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों की सामाजिक समस्याएँ कोर्ट–कचहरी में सुनी नहीं जाती है। प्रश्नोत्तर में महोदय बोले कि कोर्ट या प्राधिकार, शिकायत की सुनवाई करता है, कोई नया नियम नहीं बनाता है। यदि कोई शिकायत हो तो कोर्ट या प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधि सेवा दिया जाएगा और यदि सामाजिक हित में कोई नया नियम बनाने की बात हो तो समाज के लोगों को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्यपाल के पास जाना चाहिए। कोर्ट या न्यायालय, संविधान सम्मत तथ्यों के आधार पर षिकायत का निपटारा एवं न्याय करता है।

उक्त तथ्यों की जानकारी के बाद, परम्परागत पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा का स्पस्ट निर्णय लिया है कि अपने समाज में हुए शिकायत को बैठकर लिखा–पढ़ी के साथ अभिलेख तैयार करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए, परिवाद यदि परिवार स्तर पर न सुलझे तो रूढ़ी–परम्परा के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
परम्परा के अनुसार वाद या परिवाद को निम्नलिखित तरीके से कार्य किया जाना चाहिए –

1. सर्वप्रथम वाद या विवाद ग्राम सभा में आये। ग्रामसभा द्वारा दोनों पक्ष को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष के बातों को गवाहों के सामने सुनकर तथा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। गवाह पंचगण होंगे।
2. यदि ग्राम सभा में किसी मामले का निपटारा न हो तो यह मामला पड़हा में जाएगा। उस पड़हा के लोग (जिसमें 3, 5, 7, 9, 12, 22 गांव जो प्रथागत बुनियादि पड़हा में) बैठकर निर्णय करें। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के हस्ताक्षर के साथ लिखित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हो।
3. यदि एक बुनियादि पड़हा स्तर पर मामले का निपटारा न हो तो यह मामला संगी पड़हा (दो या दो से अधिक पड़हा समूह) में जाए। वहाँ पर लोग प्रथागत तरीके से निर्णय करें। बैठक में दोनों पक्षों को नोटिस तामिला हो तथा दोनों की उपस्थिति में निर्णय हो और गवाहों के सामने लिखित हो। इन तीन बैठक के निर्णय से यदि वादी या प्रतिवादी असंतुस्ट हों तो वे न्यायालय या बिसुसेन्दरा में मामले को ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उक्त तमाम विन्दुओं पर कानून के जानकारों द्वारा बतलाया जाता है कि माननीय कोर्ट, किसी भी बैठक में महिलाओ की उपस्थिति को गौर करता है। इसलिए पड़हा–बिसुसेन्दरा की बैठक में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस सवाल पर परम्परागत उराँव समाज के लोगों का कहना है कि दूसरे समाज के लोग, रूढ़ीगत आदिवासी समाज को उनकी परम्परा के अनुरूप नहीं देख पाते हैं। आदिवासी परम्परा में पत्नी को पति के पिण्ड का माना जाता है और (किसी पूजा–अनुष्ठान विशेष को छोड़कर) पूजा–पाट या नेग अनुष्ठान कराया जाता है। समाज में महिला का अधिकार विशिष्ट है। महिला एवं बच्चम को रण क्षेत्र या लड़ाई–भिड़ाई में (लंका ननना नू तथा नाद कमना नू) नहीं ले जाया जाता है।

दूसरी ओर बिसुसेन्दरा के अवसर पर पुरूष, जंगल–पहाड़ की ओर जाते हैं जहाँ महिला को जंगल–पहाड़ नहीं ले जाया जाता है। इस स्थिति में महिलाएँ, पुरूषों के लौटने तक – गांव, परिवार तथा बच्चों को, पुरूष वेश में पहरेदारी करती रही हैं और जब पुरूष, जंगल–पहाड़ से सकुशल लौट रहे होते हैं तो गांव सीमा के अन्दर पुरूषों को लोटा में पानी, आम डहुरा के साथ तथा अरवा चावल से स्वागत करती हैं। इस तरह महिला भी बिसुसेन्दरा में भागीदारी निभाती हैं। कई वर्जित अनुष्ठान में मासिक धर्म बन्द हुए महिलाओं को शामिल किया जाता है।

अब आने वाले समय में सेन्दरा के रूप में कार्यशाला को स्वागत मंच से अलग किया जाएगा तथा स्वागत मंच की ओर लौटने पर महिलाएँ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और मंच का संचालन आदि महिलाएँ करेंगी और अपनी भागेदारी निभाएंगी।

पड़हा बेल	पड़हा देवान	पड़हा कोटवार
22प0ग्रा0स0 बिसुसेन्दरा	22प0ग्रा0स0 बिसुसेन्दरा	22प0ग्रा0स0 बिसुसेन्दरा

8. कुँड़ुख़ भाषा सह तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला सम्पन्न

दिनांक 13 सितम्बर 2022 से 17 सितम्बर 2022 तक टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर द्वारा सहयोगी संस्था, उराँव सरना समिति, चक्रधरपुर (प०सिंहभूम) एवं अद्दी कुँड़ुख़ चाःला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा, राँची के सहयोग से कुँड़ुख़ भाषा सह तोलोंग सिकि (लिपि) प्रशिक्षण का 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला, टी०सी०एस०, सोनारी (जमशेदपुर) में सम्पन्न हुआ। इस आवासीय कार्यशाला में प० सिंहभूम से 28 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक तथा रांची, गुमला, लोहरदगा जिला क्षेत्र से 23 सेन्टर के भाषा शिक्षक एवं संयोजक शामिल हुए।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा में धुमकुड़िया की प्रासंगिकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देश में लग चुका है। यह झारखण्ड में वर्ष 2022 से लागू है। इसके तहत आदिवासी बहूल क्षेत्र में 5 आदिवासी भाषा (कुँडुख़/उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो एवं संताल) को मातृभाषा के रूप में 1ली से 3री कक्षा तक पढ़ाई–लिखाई कराये जाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में झारखण्ड वासियों के लिए त्रिभाषा शिक्षा (हिन्दी, अंगरेजी और मातृभाषा) नीति को आधार बनाया गया है।

यह पाठ्यक्रम योजना 5+3+3+4 के रूप में प्रारूपित है। इसमें से प्रथम 5 को 3+2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इन 5 में से पहला 3 वर्ष का समय, पूर्वशिक्षा को सूचित करता है तथा बाद वाला 2 वर्ष, क्रमशः 1ली एवं 2री कक्षा का समय सूचक है। अर्थात अब अभिभावक अपने बच्चों को 3 वर्ष का उम्र पूरा करने के बाद सरकार द्वारा नियोजित पूर्वशिक्षा केन्द्र में भेजेंगे, जहाँ वे नर्सरी में 1वर्ष, एल.के.जी में 1 वर्ष तथा यू.के.जी में 1 वर्ष की तरह शिक्षा केन्द्र भेजा करेंगे। इस तरह उक्त 5 बर्ष तक सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्र में बच्चा 2री कक्षा उतीर्ण करेगा। उसके बाद 5+3+3+4 में से पहले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चे, क्रमशः 3रा, 4था एवं 5वाँ कक्षा तय करेगा तथा उक्त 5+3+3+4 में से अगले 3 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 6ठा, 7वाँ, 8वाँ कक्षा तय करेगा। इसी तरह उक्त 5+3+3+4 में से अंतिम 4 वर्ष के अंतराल में बच्चा, क्रमशः 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां कक्षा तय करेगा। इस नई योजना में 10वां बोर्ड को निरस्त किया गया है। अब 10वीं के स्थान पर 12वीं बोर्ड होगा।

वर्तमान समय के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यालयों में पूर्व शिक्षा योजना हेतु 3 साले के बच्चे के लिए विशिष्ट स्कूली व्यवस्था नहीं है। तब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ष से 6वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी या शिक्षावाटिका से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस तरह यदि पूर्व शिक्षा योजना को आंगनवाड़ी से जो जोड़ा जाता है तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या, सभी (कुँडुख़/उराँव बहुल क्षेत्र) क्षेत्र के आधे से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाएँ उक्त भाषा या लिपि नहीं जानती है। क्या, समाज के लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले पाएंगे! अब समाज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं मातृभाषा शिक्षा योजना पर विस्तार पूर्वक विचार–विमर्श एवं निर्णय करने की आवश्यकता है।

वैसे पूर्व में सभी गाँव–टोला में अवस्थित पारम्परिक सामाजिक पाठशाला धुमकुड़िया में उराँव समाज के बच्चों को 7वें वर्ष, प्रवेश कराया जाता था। प्रत्येक माता–पिता अपने बच्चों के लिए बैठने लिए कण्डो या पिटरी, रोशनी के लिए टट्ठी और करंज तेल के साथ माघ महीने में धुमकड़िया पहुँचाया करते थे। आरंभिक समय में लड़के–लड़कियाँ सभी साथ–साथ उठते–बैठते तथा जीवन जीने के तरीके सीखा करते थे। उम्र बढ़ने के साथ लड़कियों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होने के साथ जब उनका मासिक धर्म आरंभ होता था तो उन्हें पेल्लो एड़पा प्रवेश कराया जाता था। पेल्लो एड़पा में लड़को का प्रवेश वर्जित होता था। धीरे–धीरे उम्र बढ़ने के साथ शादी के लिए बातचीत तय होने पर लड़के–लडकियों को धुमकुड़िया से विदाई दी जाती थी।

इस पारम्परिक धुमकुड़िया में सुनकर बोलने तथा देखकर बोलने की कला विकसित थी, परन्तु देखकर लिखने एवं पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, जिसके चलते पारम्परिक धुमकुड़िया, आधुनिक स्कूल का सामना नहीं कर पाया और समय की तुलना में पिछड़कर, बिछड़ गया।

इस विषय पर दिनांक 13 मार्च 2022 को सम्पन्न ''कुँडुख़ भाषा, शिक्षा एवं धुमकुड़िया'' विषयक कार्यशाला में मुख्य अतिथि, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल नें कहा – ''आदिवासियों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के उपाय पर भी कार्य करना होगा। सरकार द्वारा ''धुमकुड़िया'' निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, पर धुमकुड़िया की आत्मा को जगाने का कार्य तो समाज के लोग ही करेंगे।'

वर्तमान परिस्थिति में निम्न प्रश्न स्वयं से करें –

1. क्या, कुँडुख़ समाज के लोग इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है?
2. क्या, पूर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत, उरांव बहुल क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के स्थान पर धुमकुड़िया को स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से अपनी मांग रखा जाए।
3. क्या, पूर्वशाला या आंगनवाड़ी की तरह धुमकुड़िया के लिए Para Teacher की तरह अनुशिक्षक एवं सरकारी पठन–पाठन सामग्री सरकारी व्यवस्था से सहायता मिलेगी?

आलेख एवं परिकल्पना –
श्री महादेव टोप्पो (आदिवासी साहित्यकार) एवं
डॉ. नारायण उराँव (संस्थापक, तोलोंग सिकि)

*****

10. ऑल कुँड़ुख़ (उराँव) साहित्य सभा, असम का कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) के प्रचार-प्रसार की झलकें

दिनांक 05, 06 एवं 07 जनवरी 2016 को ऑल कुँड़ुख़ (उराँव) साहित्य सभा, असम के नेतृत्व में असम से 12 जिले से आये लगभग 15 हजार कुँड़ुख़ (उराँव) आदिवासियों ने बोड़ो टेरीटोरियल कान्सिल क्षेत्र के गोसाांई गाँव में तीन दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बी०टी० सी० के अध्यक्ष एवं राज्य सभा सांसद श्री सिन्थयुस कुजूर उपस्थित थे। सम्मेलन में डॉ. नारायण उराँव एवं डॉ. शान्ति खलखो ने कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि के बारे में जानकारी दी।

दिनांक 19–21 मार्च 2021 को, ऑल कुँड़ुख़ (उराँव) साहित्य सभा, असम का 6ठा त्रिदिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद बोड़ो (अध्यक्ष, बोड़ो टेरिटोरियल कौन्सिल) तथा विशिष्ट अतिथि श्री अशोक बाखला (संस्थापक सचिव, कुँड़ुख़ लिटरेरी सोसायटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) थे। सम्मेलन में असम के विभिन्न क्षेत्रों से आये 7–8 हजार आदिवासियों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी।

कुँड़ुख़ लिटरेरी सोसायटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन एवं ऑल कुँड़ुख़ (उराँव) साहित्य सभा, असम का राजकीय साहित्य सम्मेलन में दिनांक 30 सितम्बर 2022 को कोकराझार, असम में ''कुड़ुख डहरे'' पत्रिका का लोकार्पण।